

समाज और जीवन

: १ :

सुख और शान्ति

महात्मा भगवानदीनजी

शान्ति और सुख :

शान्ति की पूजा बहुत होती है। और उसको काफी से ज्यादा महत्त्व मिला हुआ है। धर्म-ग्रंथ का अंत 'ॐ शान्ति' कह कर ही किया जाता है। कुरान के अन्त में भी ॐ शान्ति के अर्थों वाला 'अस्सलाम' लिखा मिलता है। सारे धर्मों की बुनियाद शान्ति फैलाने के खातिर पड़ी। फिर भी शान्ति शब्द में आज इतना मिठास नहीं है जितना 'सुख-शान्ति' बोल में। शान्ति के साथ सुख जुड़ जाने से शान्ति का मतलब सब के लिए साफ हो गया है यानी जहाँ शान्ति वहाँ सुख या जहाँ सुख वहाँ शान्ति। यों सुख-शान्ति एक अर्थ वाले शब्द हो जाते हैं।

दिलसे कोई सुख-शान्ति नहीं चाहता :

सैकड़ों व्याख्यानियों को व्याख्यान देने वाले भी शुरू करते हैं : 'सब सुख चाहते हैं और धर्म यह सिखा सकता है कि सुख कहाँ मिलेगा' और फिर आगे चल पड़ते हैं। मानों व्याख्यान देने वालों को व्याख्यान सुनने वालों के मन का झीक-झीक और पूरा पता है और उनको अपनी इस जानकारी पर पूरी पूरी तसल्ली यों हो जाती है कि व्याख्यान सुनने वालों में से कोई एक भी उनकी इस भावना का खण्डन नहीं करता। हम भी ऐसे व्याख्यानों के सुनने वालों में रहे हैं और हमने भी भेड़-घाल या

भीड़-चाल के वश में होकर औरों की तरह चुप रहने में ही अपनी सुख-शान्ति समझी है। यह हम यों कह रहे हैं कि हमें बोलना चाहिए था और हम बोले नहीं। बात हमारे मन-लगती नहीं थी, फिर हमें चुप नहीं बैठना था। हम यह न तब मानते थे और न अब मानते हैं कि आदमी जी से सदा सुख-शान्ति चाहता है। वह सुख-शान्ति से ऐसे ही डरता है जैसे दुख-दर्द से। अगर सुन्न सोने में है तो हमें एक भी ऐसा न मिलेगा जो सौ घंटे या पचास घंटे या पच्चीस घंटे भी सोये। अगर सुख खाने में है तो हमें एक भी ऐसा न मिलेगा जो दस सेर या पांच सेर या ढाई सेर खा जाय। सुख-शान्ति को समझाने के लिए हमें यह तो बताना ही पड़ेगा कि सुख-शान्ति है किस काम में और फिर काम कोई ऐसा बताया नहीं जा सकेगा जिसमें कोई निरन्तर लगाकर कुछ ही समय में दुःख न मानने लगे। फिर यह बात कैसे ठीक हो सकती है कि सब लोग सुख-शान्ति चाहते हैं ?

अनुकूल-प्रतिकूल वेदना :

कुछ ऋषियों ने 'वेदना' नाम का एक और शब्द खोज निकाला। वेदना शब्द विद् से बना है। विद् माने जानना, वेदना माने जानकारी। वेदना शब्द वाले ऋषिने सुख को कहा अनुकूल वेदना और दुख को कहा प्रतिकूल वेदना। इस को सीधे शब्दों में यों समझ लीजिये कि मनलगती जानकारी सुख और मन न लगती जानकारी दुख कहलाती है। अब सुख रह गया मनचाही बात। अब धर्म बताये कि वह क्या सुख सिखायेगा ? जो मैं चाहता हूँ उसके मिलने से ही मुझे सुख मिलेगा। अगर धर्म भी मेरी हॉ में हॉ मिलाता है तो धर्म ने मेरा क्या भला किया और मेरे किस काम आया ? और अगर धर्म मेरी बात को काटता है और 'ना' कहता है तो वह मुझे दुःख देता है। फिर यह बात झूठ हो जाती है कि धर्म सुख देता है। इन अनुकूल और प्रतिकूल वेदनाओं ने बात तो

सुख और शान्ति

३

आदमी के मन-लगती कही पर इसमें ऐसा कोई बीज न मिला जिसे बोकर आदमी सुख फल की खेती आसानी से काट लेता है ।

‘आनन्द’ और वेदना :

कुछ ऋषियोंने बड़ी ऊँची उड़ान ली और उन्होंने एक नये शब्द ‘आनन्द’ की रचना कर डाली । इस शब्द की जेब धारसे उन्होंने अनु-कूल और प्रतिकूल दोनों वेदनाओं का ही सर काट कर फेंक दिया । यानी सुख-दुःख दोनों को ही बेकार साबित कर दिया या निरी दुनियादारी की चीज बना कर छोड़ दिया । अगर आनन्द शब्द का उल्था किया जाय तो वह होगा आत्म-वेदना और घरेलू बोली में वही होगा अपनी जानकारी । तो अब आनन्द रह गया आत्मानन्द यानी अपने आप अपने आप में मगन रहना । और अगर वेदना शब्द से आप चिपके ही रहना चाहते हैं तो आनन्द के माने हो जाते हैं अपने आप को जानते रहना और मगन रहना । वास्तव में बात तो यह बड़ी गहरी है और बड़े बड़े तर्क-शास्त्रियों का मुँह बंद कर सकती है, पर है कोरी कल्पना । हो सकता है बिल्कुल सच्ची हो । पर जहाँ कहीं वह सच्ची मिलेगी वहाँ न हम होंगे न तुम और न यह दुनिया होगी । तब फिर ऐसी सचाई से हमें क्या लेना-देना ।

सुख-शान्ति की खोज :

आइये, अब आसमान से फिर भूतल पर आ जाइये और अपनी सुख-शान्ति से भेंट कीजिये । भला-बुरा जैसा भी सुख इस दुनिया में है और भली-बुरी जैसी भी शान्ति यहाँ मिलती है उसीसे हमें काम पड़ेगा और उसीको पाकर हमें तसल्ली होगी और चैन पड़ेगा । फिर उसी की बात क्यों न करें ? आइये, अब उसी की खोज करें और पता लगाएँ कि वह कहाँ रहती है और कहाँ अपने आप आ जाती है ? और क्यों अपने आप चली जाती है ? वह सिनेमा के फिल्म के चित्रों की तरह निरी छाया ही

क्यों न हों, पर जब हमें सुख देती है तो हमारे लिये तो वह छाया नहीं, बड़ी माया है। हम उसके खोजने या उसकी चर्चा करने में कुछ समय दें तो वह समय बर्बाद किया हुआ नहीं समझा जाना चाहिए।

समाज भी सुख-शान्ति नहीं चाहता :

शान्ति की खोज में निकलने से पहले यह बात तो हमें अपने जी में बिठा लेनी ही चाहिए कि सुख-शान्ति मिलेगी हमें तभी जब हम सच्चे जी से उसको अपनाना चाहेंगे। हम चाहें और वह न मिले, ऐसा नहीं हो सकता। जो आदमी जो चीज चाहता है, वह कोशिश करके अपने जी से चाहने का सबूत देता है और कोशिश किये जाता है और फिर वह पा भी लेता है। यह हम इसलिए लिख रहे हैं कि हमारा अनुभव हमें यह डंके की चोट बता रहा है कि हम सचमुच सुख-शान्ति नहीं चाहते। न अलग-अलग और न समाज रूपसे। बहुत खोजने पर सौ में से कोई एक ऐसा शायद मिल जाय जो सुख-शान्ति के पीछे लगा हो और उसके पाने की कोशिश कर रहा हो। पर समाज रूपसे तो उसकी भी कोशिश यही मिलेगी कि सुख-शान्ति जितनी दूर रहे उतना अच्छा। अब जब समाज से सुख-शान्ति दूर है, तो व्यक्ति को कहाँ से मिल जायगी और जब व्यक्ति ही उससे भागता फिरता है तो व्यक्ति से बना हुआ समाज उसे क्या आसमान से बरसा लेगा? सचमुच यह बात हम बहुत बढ़कर कह गये कि न व्यक्ति सुख-शान्ति चाहता है और न समाज। इस बात का हम अगर कोई पक्का सबूत न दें तो यह किसी के गले न उतरेगी। और हमारी हँसी उड़ेगी सो अलग। हमारी हँसी उड़ जाय इसमें तो हम जरा भी दुःख नहीं मानेंगे। मगर हमारी हँसी तो तभी उड़ेगी जब कोई यह साबित कर देगा कि समाज भी और व्यक्ति भी सुख-शान्ति चाहते हैं और अलग अलग और मिलकर सब उसी की खोज में जुटे हुए हैं और जी-जान से कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसी हमारी हँसी उड़ी तो हमारे हिस्से में कुछ सुख ही

सुख और शान्ति

५

आयगा। क्योंकि हम इस बात के कायल हैं कि खोज करने से सुख-शान्ति जरूर मिलती है। और खोज करने वाले समाज को जरूर मिलेगी। और हम उस समाज के अंग हैं, फिर हम उसको पाये बिना कैसे रह जायेंगे? बहुत न सही कुछ तो बांट में आयेगी ही। पर हम तो अपनी बात पर अड़े हैं। वह बात यह है कि समाज सुख-शान्ति नहीं चाहता और न इस ओर कोशिश कर रहा है।

पाँच भूत और सुख-शान्ति :

आइये, सुख-शान्ति के लिए पहले पाँच भूतों की खोज करें। जलन को अगर आप दुःख मानते हैं तो ना-जलन में सुख-शान्ति का निवास है। यह कौन नहीं जानता कि आग जलाने के लिए कम-से-कम तीन लकड़ियों की जरूरत होती है यानी जलन या दुःख पैदा करने के लिए तीन का इकट्ठा होना जरूरी है। जलन को नाजलन में बदलने के लिए यानी दुःख को शान्ति में बदलने के लिए इतना ही तो करना है कि तीनों लकड़ियों को अलहदा कर दीजिये। थोड़ी देर में आप ही बुझ जायगी। न औरों को जलायेंगी और न खुद जलेंगी। अब तो घर घर में पत्थर का कोयला इस्तेमाल होने लगा है और बच्चा-बच्चा यह जानता है कि कोई एक कोयला जलती आग से अलग हुआ नहीं कि बुझा नहीं। पानी घटाओं के रूप तूफान लाता है, बिजली गिराता है, अंधेरा करता है, मकान तोड़ता है, पहाड़ तोड़ता है, और न जाने क्या क्या आफतें खड़ी करता है। वही जब बिखर कर इधर-उधर फैल जाता है तो सुख-शान्ति फैलाता है, खेतियाँ सरसाता है और अंधेरे को उजाले में बदल देता है। पानी बाढ़ के रूपमें गाँव के गाँव बहा ले जाता है। पर समझदार लोग बाढ़ से बचने के लिए नदी के किनारे किनारे नहरें तैयार रखते हैं और पानी को छितरा देते हैं। बाढ़ की बला को नहरों के जरिये सुख-शान्ति में बदल देते हैं। हवा घने पत्ते वाले पेड़ को टक्कर मारकर गिरा देती है लेकिन

जिस दरख्त ने अपने बहुत-से पत्ते छितरा दिये हों, आंधी रूप वाली हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उससे टकरा कर वह खुद छितरा जाती है। रेल वाले कई सिगनल के हथ्यों का नुकसान करने के बाद यह समझ पाये कि उसमें अगर बहुत से सूराख कर दिये जायें तो आंधी फिर उस न तोड़-फोड़ सकेगी क्योंकि वह खुद इन सूराखों में होकर छितरा जाती है। आग, पानी, हवा गला फाड़ फाड़ कर आदमी को यह सबक दे रहे हैं कि सुख व शांति बिखरने और छितराने में है, सिमटने और इकट्ठे होने में नहीं। पर प्रकृति के ये दोनों गुण हैं कि वह सिमटती सिमटती है और बिखरती-बिखरती है यानी दुख-सुख मय है। आदमी दुख से बिल्कुल तो नहीं बच सकता पर जरा सोचे समझे तो सुख-शांति के अम्बार खड़े कर सकता है। जो सुख-शांति आज दुनिया में कहीं भी नहीं है और किसी को ढूँढ़ नहीं मिल रही, उसकी कुछ दिनों में ही इतनी बहुतायत हो सकती है कि जो जितनी चाहेगा, पा सकेगा।

असली सुख बिखरने और छितरने में है :

यह किसे नहीं मालूम कि हमारी हरी हरी खेतियाँ जिनको देख कर हमारी आँखें तर हो जाती हैं, हमारा मन उमंगों से भर जाता है और जिसे देख कर हमारी घरवालियाँ गा उठती हैं और नाचने लगती हैं और हमारे बच्चे खिलखिला उठते हैं वह सब नतीजा है उस के ढेर को छितराने का और खेत में बिखरने का जो घर में ढेर के रूप में कोठी में बन्द था और अगर कुछ देर और बन्द रहता तो तरह तरह के कीड़े और बदबू पैदा करता, घर भर को दुख देता और सड़कर कितनों को भूखा रखता और यों कितनों को रुलाता, इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता। देखिये न, अब उसीका एक एक दाना खेत में पड़कर कितने गुना हो गया है। याद रहे वह वहाँ ढेर में रहने के लिए नहीं बढ़ा है। अगर कोई उसे ढेर के लिए

सुख और शान्ति

७

बढ़ा हुआ समझे तो वह दुख का ढेर खड़ा करना चाहता है, वह खेत पकने पर जितनी जल्दी, जितने छोटे टुकड़ों में छितराया जायगा उतना ही ज्यादा सुख-शान्ति फैला सकेगा। वस, इकट्ठे होने में दुःख है पर इसी में सुख भी है अगर हम बिखरने के लिए इकट्ठे हो रहे हों। पर यह याद रहे कि बिखरने की नीयत से इकट्ठे होने में भी असली सुख नहीं, माना हुआ सुख है, सुख की इंतजारी का सुख है। असली और अमली सुख तो छितरने और बिखरने में ही है।

आइये, अब जरा असली दुनिया में आइये। आप को अपनी कमाई के एक महीने बाद किसी एक दिन सौ रुपये इकट्ठे हाथ लग जाते हैं तो वे सुख तो देते हैं पर वही नकली सुख यानी इंतजारी का सुख। अमली सुख तो तभी मिलेगा जब वे कई दूकानों पर बिखर दिये जायेंगे और वहाँ से तरह तरह की चीजें घर पर आ कर जमा होंगी। अभी जमा हो रही हैं। इसलिए असली सुख के इन्तजार का ही सुख है। अब जरा उसके पक्वान्न बनने दीजिये। अभी भी असली सुख कुछ दूर है। अब उस पक्वान्न को घर भर में बंटने दीजिये यानी बिखरने दीजिये और फिर देखिये कि वे बिखरे हुए सौ रुपये बच्चों को कैसे कुदका रहे हैं, उनसे बड़ों को फुदका रहे हैं, उनसे बड़ों को चहका रहे हैं। और आप यह देख कर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। यह ठीक है कि आप सौ के सौ नहीं खर्च कर डालते, कुछ बचा रखते हैं। जो बचा रखते हैं उतना ही दुःख बचा रखते हैं। आप कह सकते हैं कि हम तो उसे सुख मानते हैं। बेशक, आप ठीक कहते हैं और हम उसके जवाब में यह कहेंगे कि आपने दुख को सुख का नाम दे रखा है। और तभी तो हम यह कहते हैं कि दुनिया में सुख-शान्ति कहीं नहीं है। हम से अगर आप सलाह लें तो जिस दिन आप को सौ रुपये मिला करें उसी दिन अगर आप उन रुपयों को, अगर आप का कुटुम्ब पांच आदमियों का है, बीस बीस रुपये फी आदमी या और

किसी हिसाब से उनमें बांट दिया करें तो आप देखेंगे कि आप और भी ज्यादा सुखी हो गये हैं और आये दिन भी रोज की झंझट से बच गये हैं। यह बात हम यों ही नहीं लिख रहे, हमने खुद इस तरह का एक आदमी देखा था और यह भी मालूम किया था कि वह औरों की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुखी है। हमने उसकी नक़ल भी की थी और अब तो हम अपने अनुभव के आधार पर यह जोर के साथ कहने की हिम्मत करते हैं कि यह बिखेर देने का तरीका जमा करने की रीति से कहीं ज्यादा सुखदायक होता है।

सूद कड़वा विष है :

हम हैरान हैं सूद की बुराई या सूद में रहनेवाला ज़हर मुहम्मद साहब के सिवा किसी और सन्त को या ऋषि-नबी को क्यों न दिखाई दिया ? सूद का रिवाज़ सचमुच एक ऐसा दुखदाई रिवाज़ कि जिसके रहते समाज का सुखी होना या व्यक्ति का शांति हासिल करना किसी तरह नसीब नहीं हो सकता। इसकी खोटी भलाई लोगों के दिल में इतनी गहरी असर कर गई है कि वे ठंडे जी से इस मामले पर सोचने के लिए तैयार नहीं हो सकते। सूद एक ऐसी बला है जिसने समाज में कहीं टीले खड़े कर दिये हैं और कहीं पोखरे खोद दिये हैं। सूद समता के लिए बहुत कड़वा विष है। धन जमा करने का रिवाज़ उनमें भी है जिनकी गरदन में सूद के रिवाज़ की रस्सी नहीं पड़ी है। पर उनका धन जमा करना इतना दुःखदाई नहीं होता जितना सूद लेनेवाले समाज का। आम तौर से धन चांदी और सोने के सिक्कों के रूप में ही जमा किया जाता है और वही तरीका जमा करने का जहरीला है। हाँ, उसका बैंकों में जमा होना तो बेहद जहरीला है। पर हम तो उसे किसी तरह भी जमा होने को समाज और व्यक्ति के लिए दुःखदाई ही समझते हैं। पर जब तक सिक्के का चलन मौजूद है तबतक न लोग जमा करने से रुकेंगे और न सच्चा सुख पा सकेंगे। इसमें शक नहीं कि हमारे ये गिने-चुने शब्द इस

सुख और शान्ति

९

मामले में लोगों की पूरी पूरी तसल्ली न कर सकेंगे और वे हम से और भी ज्यादा खुलासा इस मामले में चाहेंगे। पर हम उन्हें यही सलाह देंगे कि वे टंडे जी से सूद की ऊँच-नीच पर अकेले में बे-लाग होकर एक बार गहरी नजर डालें तो। तो वे जरूर उसी नतीजे पर पहुँच जावेंगे जिस पर हम पहुँचे हैं। उनके सोचने के लिए इतना इशारा हम किये देते हैं कि वे एक बार इस तरह सोचें कि उन्होंने कुछ रुपया सूदपर ले रक्खा है और कौड़ी चुकाने के लिए पास नहीं और फिर इस हैसियत से सोचें कि उन्होंने अपना सारा रुपया उधार दे रक्खा है और आसानी से एक कौड़ी भी वसूल नहीं हो पाई। तब वे सब तरह के नीचान-ऊँचान में होकर निकल जायेंगे और सूद की सब तरह की बुराइयाँ उनकी समझ में आ जायेंगी और फिर आप वे इस नतीजे पर पहुँच जायेंगे कि सचमुच सुख पैसे के जमा करने में नहीं है उसके छितराने और बिखराने में ही है।

छितराना प्रकृति का नियम :

यह किसको नहीं मालूम कि होशियार हकीम और वैद्य जब किसी मरीज को अपने हाथ में लेते हैं तब सब से पहला काम वे उस चीज को छितराने का करते हैं जो बहुत दिनों से मरीज के पेट में भूल से जमा होती रही है। इसके लिए वे दस्त और कै का सहारा लेते हैं और अगर इससे भी नफा होता नहीं देखते तो नस-फसद खोलकर खून छितराने पर उतारू हो जाते हैं और आखिर मरीज को सुख-शान्ति पहुँचाने में कामयाब हो ही जाते हैं। चबाकर खाने पर कौन समझदार जोर नहीं देता ? चबाना, खाना छितराने के सिवा और चीज ही क्या है ? और सचमुच जिन्हें चबा-चबाकर खाने की आदत हो गई है उन्हीं से पूछिये तो वे आप को बतायेंगे कि खाने का सच्चा सुख और खाने की चीजों का सच्चा स्वाद उसी तरह मिलता है और उन्हीं को मिलता है। उनको सुख नहीं मिलता जो बड़े-बड़े कौर मुंह में रखकर निगल जाते हैं। उन्हें न खाना खाने का सुख

मिलता और न हजम करने और रस बनाने का सुख मिलता है । सांस लेने में इतना आनन्द नहीं आता जितना सांस बाहर फेंकने में । सांस लेना यानी हवा को एक कोठरी में इकट्ठा करना और सांस फेंकना यानी हवा को छितराना । असल में सांस फेंकने में हम उस ज़हर को निकाल फेंकते हैं जिसको हम अपनी भूलों से अन्दर जमा करते रहते हैं । फिर सांस फेंकने यानी हवा को छितरा देने में हमें सुख मिलना ही चाहिए । थोड़े शब्दों में प्रकृति हमें तन्दुरुस्त बनाये रखने के लिए जमा करने का काम भी करती है, पर बिखरने-बिखराने का काम ज्यादा करती है । और इस तरह वह थोड़ी देर दुःखी रखकर ज्यादा देर सुखी रखना चाहती है । हम उसके तरीकों पर न अच्छी तरह से नज़र डालते हैं और न उससे कोई सबक लेना चाहते हैं । फिर यह कैसे समझा जाय कि हम सुख-शान्ति चाहते हैं ।

शासन में छितराने का प्रयोग :

आइये, अब ज़रा हुकूमती कामों की तरफ आइये । हुकूमत जब समाज को सुख-शान्ति पहुँचाना चाहती है तो ऐसी भीड़ को पुलिस की लाठियों से छितरा देती है जिसपर उसको यह शक होता है कि वह जनता की शान्ति को भंग करनेवाली है । इतना ही नहीं, अच्छे से अच्छे काम के लिए जमा होनेवाली भीड़ की देखरेख के लिए सरकारी पुलिस का इन्तजाम रहता ही है । अगर कहीं किसी वज़ह से सरकारी पुलिस वहाँ नहीं पहुँच सकती तो भीड़ जमा करने वाले पहले ही से अपनी पुलिस तैयार रखते हैं जिसको वे स्वयंसेवक दल का नाम दे लेते हैं । इसका यही मतलब है कि भीड़ जमा करने वालों को भीड़पर पूरा एतबार नहीं रहता । वे खूब समझते हैं कि जहाँ भीड़ इकट्ठी होगी वहाँ ऊधम होगी ही । भीड़ में ऊधम का न होना अचरज माना जा सकता है पर ऊधम का होना तो मामूली बात माना जायगा । भीड़ में फिर चाहे वह धर्मात्माओं का मेला ही क्यों न हो, गठकटों और जेब-कतरों की खूब बन आती है ।

सुख और शान्ति

११

लुच्चों और लफंगों की मौज रहती है। बस, भीड़ को ऐसे ही समझिये जैसे गहरी अंधेरी रात, जब चोरों की बन पड़ती है। सरकार ने अमन और शान्ति रखने के जो कानून बनाये हैं उनमें से एक है दफा १४४, जिस की यही तो मनशा है कि भीड़ न इकट्ठी होने पाए और अगर इकट्ठी हो तो छितरा दी जाय। उस कानून की रू से पांच-छः आदमी भी भीड़ समझे जाते हैं। अब तो सरकारी कागजों से भी यह साबित हो गया कि सुख-शान्ति छितरा कर ही फैलाई जा सकती है। एक मुल्क कितनी ही अच्छी नियत से दूसरे मुल्क से लगती अपनी हद में अगर फौजें इकट्ठी करता है तो वह दूसरे मुल्क की सुख-शान्ति भंग करता है और दूसरे मुल्क को तबतक चैन नहीं पड़ता जबतक कि उसका पड़ोसी मुल्क अपनी इकट्ठी हुई फौजों को वहाँ से न हटा ले। यानी उन्हें न छितरा दे या न बिखरा दे। अगर पड़ोसी मुल्क किसी तरह इसपर राजी नहीं होता तो फिर वह उसी तरह अपने मुल्क की हद में फौजें इकट्ठी करता है और अगर जोरदार हुआ तो पड़ोसी मुल्क की फौजों को घकेल कर हटा देता है, छितरा देता है या खत्म करके बेकार कर देता है और अगर बहुत जोरदार हुआ तो पड़ोसी मुल्क डरकर ही अपनी फौजें हटा लेता है और छितरा देता है। यानी दुःखी और अशान्त मुल्क कांटे से कांटे को निकालता है। पर जो कांटा पांव में लगा हुआ होता है वह भी कांटा है और जो उस कांटे को निकाल रहा है वह भी कांटा है। कांटा अगर दुःखदाई होने की वजह से बुरा है तो वह पांव में लगा हो तो भी बुरा है और हाथ में हो तब भी बुरा है। हाथ वाला कांटा ही कब पैर वाले कांटे को बिना पांव को और दुःख दिये निकाल पाया है? इसलिए फौजों का इकट्ठा होना हर तरह दुःखदाई है और उनका बिखर जाना हर तरह सुखदाई है।

शहर गाँवों में छितरें :

हवाई जहाज से गिरनेवाले मामूली बम से ही नहीं, एटम बम से

बचने के लिए भी सब से अच्छी तजवीज यही है कि समाज बड़े बड़े शहरों में जो जमा हो गया है वह पाँच-पाँच और दस-दस घर वाले गाँवों में बहुत बड़े हिस्से में छितरा दिया जाय। बस, एटम बम का खतरा दूर हो गया। यह इस तरह कि एटमबम इतना कीमती होता है कि उसे दुश्मन पाँच-दस घर वाले गाँवपर गिरा कर बेहद टोटे में रहेगा। इसलिए वह बम गिराने की बेवकूफी कभी नहीं करेगा। इसी सिलसिले में यह भी समझ लेना चाहिए कि ये बड़े बड़े कल कारखाने समाज के उन सदस्यों के लिए जो उसमें काम करते हैं बेहद दुःखदाई हैं; पर इसकी चचा तो अभी हम करते नहीं। अभी तो हम यह बताना चाहते हैं कि ऐसे कल कारखाने हुकूमत के खयाल से भी बड़े दुःखदाई हैं। दुश्मन के बम उनपर गिरकर करोड़ों की रोजी का एकदम ख़ात्मा कर सकते हैं। यही कल कारखाने छितर कर छोटे रूप में गाँव के घरों में रंहटी, चरखा, धुनकी, करघे और कोल्हू और कढ़ाव का रूप ले लें तो दुश्मन सकपका जाय और हमारा देश भी एकदम करोड़ों की रोजी न खो पाये। न फिर कपड़े के बिना नंगा रहे और न शक्कर के बिना उदास। ये बातें अब ऐसी बातें नहीं रह गईं जिन पर लम्बी चौड़ी बहस की जरूरत हो। जिनको जताने के लिए हम ये बातें लिख रहे हैं वे हम से ज्यादा अच्छा समझते हैं। अगर हम में इन बातों के बारे में एक मन विश्वास है तो उन में एक रस्ती भी नहीं और इसी वास्ते जानते हुए भी वे इस पर अमल नहीं करते। अकल विश्वास को आसानी से कबूल नहीं करती और किसी ने ठीक ही कहा है कि “अकल जब आती है, आती ठोकरें खाने के बाद”। गोरी पलटनों ने एक लड़ाई हारकर ही पतलून की जगह नेकर को अपनाया। कारखानों के छितराने की बात भी तजरबे के मास्टर के मुँह से ही सीखने पर चित्त पर अंकित हो पायेगी। पर हो सकता है कि वह सबक इतनी देर से मिले कि हम हाथ मलकर रह जायें। तभी तो हम कह रहे हैं कि सचमुच समाज सुख-शांति नहीं चाहता।

हिन्दुस्तान की सुख-शान्ति नष्ट कैसे हुई ?

अंगरेजी सरकारने अच्छी नियत से न सही, किसी भी नियत से आनेरी मजिस्ट्रेटों की बुनियाद डाली । इस तरह एक जगह बहुत इकट्ठी हुई इन्साफ करने की ताकत को छितराया जिससे डिप्टी कलक्टरों और जिला मजिस्ट्रेटों को थोड़ा-सा सुख मिला । जनता को भी कुछ सुभीता हुई । अंगरेजी सरकार ज़रा भी यह नहीं चाहती थी कि हुकूमत की ताकत या इन्साफ की ताकत उसके हाथ से निकलकर हिन्दुस्तानियों के हाथ में जाय । हिन्दुस्तानी जनता के हाथ में देने की बात तो वह कभी सुपने में भी नहीं सोच सकती थी । अंगरेजी राज में हम दुखी थे पर हम सुखी थे यह हमें पता कहाँ था ? यह तो भूले-भटके कभी कभी कांग्रेस के कुछ उग्र नेता शहर के इने-गिने पढ़े-लिखों के जी में यह बिठाने की कोशिश करते रहते थे कि वे अंगरेजी राज में दुखी ह । उनकी समझ में कुछ-कुछ आता भी था, पर जब वे अपने हजारों-लाखों रिश्तेदारों में से और हजारों-लाखों जान-पहचान वालों में से किसी एक को भी नायब तहसीलदार या तहसीलदार देख लेते थे तो सब दुःख भूल जाते थे और उग्र नेताओं की बात को निरा धोखा ही समझते थे; इसीलिए वे सुख-शान्ति की कोशिश नहीं करते थे । दुख देखते देखते उन्हीं को सुख समझने लगे थे । बस, चोटी के दस-बीस समझदार समझते थे कि जबतक ताकत कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठी रहेगी तब तक देश सुखी नहीं हो सकता । पर उनकी सुनता कौन था ? जिस अंगरेज ने हिन्दुस्तान में ब्रिखरी पंचायती ताकत को एक कलम से खत्म कर दिया वही सब से ज्यादा समझदार अंगरेज था और वही हिन्दु-का सब से बड़ा दुश्मन था जो हिन्दुस्तान के सुख को अगस्त्यगुनि की तरह एक चुल्लू में पी गया । उस के बाद हिन्दुस्तान को कभी सुख-शान्ति का स्वाद नहीं मिला और इसलिए वह उसको इतना भूल गया कि दुःख दर्द को ही सुख-शान्ति समझने लगा ।

कांग्रेस का संगठन :

सन् १९२० में हिन्दुस्तान के सन्त ने लोगों को सुख-शान्ति का ज्ञान कराया । पर उसे तो हिन्दुस्तान के पाँव में लगे काँटे को निकालना था और वह काँटा तो काँटे बिना नहीं निकल सकता था । यह ठीक है कि उसने अपनी समझ में मुलायम से मुलायम काँटे से काम लिया पर वह इतना सख्त तो ज़रूर था कि काँटा निकालने के काम में न मुड़ता था, न ढीला पड़ता था और वह था कांग्रेस का संगठन । उस संगठन के नियमों को पढ़कर देश-बन्धु दास तो फड़क उठे थे और कह बैठे थे कि यह तो नई सरकार गढ़ी जा रही है । और सचमुच सन् २० और २१ में कांग्रेस ने सारी ताकत फिर चाहे वह हुकूमत की हो या इन्साफ की, अंगरेज के हाथ से छीन ली थी । और गाँव-गाँव में नही तो शहरों-शहरों और जिलों-जिलों में छितरा दी थी । अब जिला-कांग्रेस का प्रेसिडेण्ट आपोआप जिला-मजिस्ट्रेट बन बैठा था । और अंगरेज जिला-मजिस्ट्रेट अपनी कचहरी में हाथ पर हाथ धरे रहता था । यही हाल कुछ सूत्र के सूत्रदारों का था । और यही वे दिन थे कि जब अंगरेजी राज रहते हुए भी हिन्दुस्तानी बेहद सुखी थे क्योंकि हुकूमती और इन्साफी ताकत छितरकर करोड़ों नहीं, लाखों भी न सही तो हजारों के हाथों में ज़रूर बढ़ गई थी और वह सच्ची ताकत थी । क्योंकि उस ताकत ने लोगों को हाथ का पक्का और लंगोटी का सच्चा बना दिया था । अंगरेजी ताकत अब नाम को रह गई थी । असली ताकत अब सब हिन्दुस्तानियों के हाथ में थी । धीरे धीरे किसी वजह से वह ताकत हिन्दुस्तानियों की मुट्ठी में न रह पाई और शायद इस वजह से कि वे उसको आगे गाँव में न छितरा पायें इसलिए वह फिर घरों-घरों की छतपर फैली मिट्टी की तरह बरसात के रेले से उसी पोखर में पहुँचने की तरह से जहाँ से बह आई थी उन्हीं अंगरेजों के हाथ में फिर से पहुँच गई और फिर वह मुट्ठी-भर गोरों के हाथ की चीज़ बन गई । और बरसों तक उन्हीं के हाथ

सुख और शान्ति

१५

में ज्यों की त्यों सुरक्षित रही। सन् '२० और '२१ जैसे सुख का मज़ा हिन्दुस्तान की जनता फिर कभी न ले पाई। सन् '४७ में सचमुच अंगरेज़ हिन्दुस्तान छोड़कर चल दिये। बेशक वे हुकूमती और इन्साफी ताकत अपने साथ नहीं ले गये पर उसे अपने से भी कम तायदाद वाली छोटी जमात के हाथ में सौंप गये और इस तरह वे हिन्दुस्तान को और भी ज्यादा दुखी बना गये। हिन्दुस्तान के सन्त ने उन दिनों के वाइसराय माउण्ट बेटन से बहुत चाहा कि वे एक छोटा-सा काम तो जनता के सुख का अपने हाथ से कर जायँ और वह यह कि नमक-कर को अपने हाथ से खत्म कर जायँ। पर पत्थर-दिल माउण्टबेटन या राजनीति के गूढ़ पांडित माउण्टबेटन किसी तरह न पसीजे और बर्तानिया के सर पर महात्मा गान्धी के शब्दों में इतने बड़े यश का मुकुट बांधने के लिए राजी न हुए। इसमें क्या गूढ़ रहस्य था इस पर हम कलम उठाकर क्या करेंगे, इसके समझने का काम हम अपने पढ़ने वालों पर छोड़ दें।

हिन्दुस्तान के सन्त की तड़प :

हाँ तो हिन्दुस्तान का संत अपने जीवन में हिन्दुस्तान की सुख-शान्ति की न कोई योजना बना पाया और फिर सुख-शान्ति फैलाने की बात तो कही ही कैसे जा सकती थी। अंगरेजों के चले जाने के बाद सुख-शान्ति फैलाने की जितनी तड़प उस संत में थी उतनी किसी में नहीं थी यह कहना तो कुछ कहना नहीं होगा। उसकी चौथाई भी उन सब में नहीं थी जो हिन्दुस्तान को आज़ाद करने के खातिर उस के साथ-साथ या उस से अलग हथेली पर सिर लिए फिरते थे। वह वही संत था जो अपने सब संगठनों को छितरा देना चाहता था और सच्चे किसान की तरह अपने हरेक साथी को अनाज के दानों की तरह जीते-जी राजनीतिक शक्ति के खयाल से ज़मीन में दफन कर देना चाहता था। या दूसरे मानों में वह अपने एक एक साथी को सौ-गुना बलवान् या सौ में बदल देना चाहता था। वह सचमुच

तपस्या से पाई ऋद्धि-सिद्धि को सच्चे व्यापारी की तरह मेहनत से कमाये एक एक सिक्के को व्यापार में लगा देना चाहता था या सड़ पर उठा देना चाहता था । वह निकम्मी और जल्दी नष्ट होने वाली राजसत्ता को बिखरा-छितराकर सकम्मी और कभी न नष्ट होनेवाली नीति-सत्ता में बदल देना चाहता था । वह आत्म-बल का विश्वासी था, नीति-बल का पुतला था । वह समझदार होने के दिन से मरने के दिन तक राज-बल को ठुकराता रहा । और सत्य तथा प्रेम-बल को गले लगाता रहा । क्या वह अपने साथियों को सत्यबल और प्रेमबल के अलावा कोई दूसरा बल अपनाने की सलाह दे सकता था ? राजबल का इच्छुक हिंदुस्तान में कौन नहीं ? राजबल के इच्छुकों की खोज करने की कहाँ जरूरत है ? उन के लिए विज्ञापनों पर पैसा खर्च करना पैसे का दुरुपयोग करना है । इस बीसवीं सदी में जब एक सक्के का छोकरा यानी कहार का लड़का अफगानिस्तान के खानदानी बादशाह अमानुल्ला के हाथ से अफगानिस्तान की गद्दी छीन सकता है और अफगानिस्तान पर बरसों न सही, कुछ महीनों राज कर सकता है और ऊँचे से ऊँचे पढ़े-लिखों को अपनी उंगली के इशारों पर नचा सकता है तो हिन्दुस्तान का भी गंगुआ तेली, मुहम्मदा कुंजड़ा, कलुआ कुम्हार और रमजानी भिस्ती राजसत्ता लेने के लिए मिल सकते हैं और वक्त पड़ने पर जिलों को ही नहीं सूत्रों को भी संभाल सकते हैं । हिन्दुस्तान में रामराजू और चीतू पांडों की कमी नहीं है । इनका राज फिर चाहे वह दिनों और हफ्तों ही रहा हो, हिन्दुस्तान के 'जिसकी कोमड़ी उस के गीत गानेवाले' सैकड़ों आई. सी. एसों से हजार गुना अच्छा था । उस के राज में जनता ही नहीं वे दूसरों के बल पर भेड़िया बननेवाले आई. सी. एस. भी मेमने बने सुखी थे । पर ऐसे रामराजू और चीतू पांडे डाक्टरों के ढूँढ़े नहीं मिल सकते । उस के लिए संत की आँख ही नहीं, संत की श्रद्धा और चाह भी चाहिए । 'मुझ जैसे दुनिया में और नहीं' कहने-वालों को हिन्दुस्तान में ही नहीं, दुनियाभर में ऐसे आदमी नहीं मिल सकते

सुख और शान्ति

१७

जो उसकी जगह ले सकें । उसकी जगह भरने का अगर कोई छाती पर हाथ रखकर दावा कर सकता है तो या तो वह यमदूत होगा या उसी का कोई सगा सहोदर होगा । राजसत्ता चलाना कितनी ही टेढ़ी खीर क्यों न हो पर नीति-बल और सच्चाई की धाक जमाना उससे भी सवा टेढ़ी खीर है । राजसत्ता में अगर जान जोखिम है तो बेहिसाब नकली आदर और बेहिसाब दुनियादारी का सुख भी है । तभी तो उसके लिए हर में और तू लालायित रहता है । और दुनियाभर की मुसीबतें झेलने के लिए सब से आगे चलता दिखाई देता है । नीतिसत्ता में भी अपना सुख है क्योंकि बिना सुख के कोई उसकी तरफ क्यों दौड़ेगा ? पर वह सात्त्विक सुख है । आत्मसुख है । वह अपने आपको तो खूब दिखाई देता है पर अपने जान-पहचानवालों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि अपने सगे सहोदरों और आत्मजों तक को नहीं दिखाई देता । उसे वह नीति-सत्ता धारी खुद भी न दूसरों को दिखा सकता है और न समझा सकता है, इतना ही नहीं जितनी वह उनको समझाने की कोशिश करता है उतनी उतनी ही वह नई आफत अपने सिर मोल लेता है । विश्वास की जगह उसका लोगों को अविश्वास हो जाता है और वह उसे छोड़कर राजबल अपनाने के लिए भाग खड़े होते हैं । वे यह समझ ही नहीं पाते कि एक माँ बाहरी सुख को त्याग कर और भीतर के सुख को अपना कर ही बालक को बाहरी सुख पहुँचा सकती है । आम दुनिया यही समझती है कि वह खूब धन कमाकर गरीबों में उसे बांट सकती है और उसको धन सुख पहुँचा सकता है । या वह बहुत बड़ी राजसत्ता हाथ में लेकर ही लोगों को राजबल बांट सकती है और राजसुख पहुँचा सकती है । आम दुनियादारों की उस तरफ निगाह ही नहीं जाती कि जिसे धन त्याग कर और उसे बिखरा कर वह दुनिया को सच्चे मानों में सुखी बना सकते हैं और राजसत्ता त्याग कर दुनिया को सच्चे मानों में राज बलशाली बना सकते हैं ।

न जाने क्यों राजनीति के पंडितों को राजाओं का सीधा-सच्चा इतिहास ठोक-ठीक सबक नहीं देता। उन्हें मालूम है कि जब बर्तानिया की ताकत राजा नामधारी एक आदमी की मुट्ठी में थी तब बर्तानिया इतना सुखी नहीं था जितना तब जब वही ताकत राजा के कौंसिल नामवाली पांच-सात आदमियों की गोष्ठी में बंट गई थी। भले ही राजा पूरे ज़ोर से ताकत को अपनी मुट्ठी में ही थामे हुए था और क्या उनको यह नहीं मालूम कि बर्तानिया तब उतना सुखी नहीं था जब कौंसिल और राजा में बिखरी ताकत उसपर राज कर रही थी जितना तब कि जब वही ताकत पार्लियामेंट के दो घरों और सैकड़ों सदस्यों में बंट गई थी। और क्यों इसी के आधारपर वे अब यह नहीं समझ लेते कि आज का बर्तानिया का दुःख और ज्यादा सुख में बदल सकता है। अगर वही राजसत्ता गांव गांव में छितरा दी जाय और बर्तानिया के हर गांव को सब बातों के लिए न सही तो बहुतसी ज़रूरी बातों के लिए छोटे छोटे जम्हुरी राज्यों का यानी रिपब्लिकों का रूप दे दिया जाय। अगर बर्तानिया आज ऐसा नहीं करता तो उसकी जनता न सुख-शांति को पहचानती है और न सुख-शांति चाहती है। अगर जनता चाहती भी हो तो वहां के एम. पी. कहलाने वाले पार्लियामेंट के मेम्बर तो हरगिज नहीं चाहते, क्योंकि सत्ता हाथ से छोड़ना मामूली काम नहीं है। वह और अपनाई जा सकती है, छोड़ी नहीं जा सकती। सत्ता छोड़ना, शराब और अफीम छोड़ने से हजार गुना नहीं लाख गुना मुश्किल होता है। और हिन्दुस्तान में आज कौन सी बीमारी है ? अंगरेज ने हिन्दुस्तान के साथ खरे शब्दों जो सब से बड़ी दगा की है या राजनीतिक शब्दों में सब से गहरी चाल चली है तो वह यह है कि वह हिन्दुस्तान के मुठ्ठीभर आदमियों के हाथ में सत्ता थमा कर गया है और उसका वश चलता तो वह उसको अकेले हैदराबाद के निज़ाम के हाथ में या उदयपुर के महाराणा के हाथ में या इधर-उधर से लाये किसी और राजा-नवाब के हाथ में या और न सही विक्टोरिया के खानदान के किसी

सुख और शान्ति

१९

जार्ज एडवर्ड के हाथ में थमा कर जाता । पर सन्त के रहते इस तरह की चाल चलने की वह न सोच सका । किसी तरह हम यह मान लेते हैं कि अंगरेज मुट्ठीभर आदमियों के हाथों में सत्ता तो दे गया है पर वे हैं देवता-स्वरूप और तभी तो वे खुले हाथों अपनों को ही नहीं, गैरों को भी बांट रहे हैं । पर यह याद रहे कि वे कितनी ही अपने और गैरों में उसे बांटें उससे ज्यादा नहीं छितरा सकते जितनी अंग्रेज अपनों में छितराये हुए था । और गैरों में कुछ को बांट कर करोड़ों को ललचाये हुए था । अगर आज हमारे मुट्ठीभर सत्ताधारी उसे अंगरेज से ज्यादा खुले हाथों बांट रहे हैं तो हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि अगर वे दस सेर बांट रहे हैं तो बीस सेर जनता के हाथ से छीन रहे हैं । कण्ट्रोल और राशनिंग जनता के हाथ से राजसत्ता खींचना नहीं तो और क्या है ? इसलिए इस खुले हाथ बँटवारे में भी राजसत्ता के मैदान में टीले और ऊँचे होते चले जा रहे हैं और तालाब और गहरे होते चले जा रहे हैं । असमता तेज़ी से बढ़ रही है । सुख-शान्ति पैरों में पंख लगाये हिन्दुस्तान की ओर पीठ किये हुए निकलते सूरज की ओर बढ़ती चली जा रही है । देखें कब पीछे मुड़कर देखती है । हम यह कहे बिना भी नहीं रह सकते कि जैसे काजल की कोठरी में घुस कर कोई काला हुए बिना नहीं रह सकता वैसे ही राजसत्ता की कोठरी में घुस कर कोई बौखलाये बिना नहीं रह सकता और राजसत्ता की मदिरा पीकर कोई राजसत्ता की प्यास नहीं मिटा सकता । वह अपने हाथ से राजसत्ता की मदिरा का प्याला कभी नहीं फेंक सकता, होंठ से भी नहीं हटा सकता । उस का प्याला तो उस का कोई सच्चा हितैषी ही उस के हाथ से छीन सकता है या कोई सन्त ही उससे छीन कर उसके प्याले और बोतल दोनों को तोड़ कर फेंक सकता है । अगर ऐसे हितैषी या संत अशोक की तरह उन मुट्ठीभर सत्ताधारियों को न मिले तो फिर कोई उन जैसा ही उन के बराबर वाला उन के हाथ से छीन कर प्याले को अपने मुँह लगा-यगा और बोतल छीन कर उल्टी बगल में दबाकर अपनों के प्यालों में

उंडेलगा और इन मदमातों के साथ क्या करेगा यह समझने का काम हम पढ़ने वालों पर छोड़ते हैं ।

केन्द्र जानदार खूटा :

हिन्दुस्तान की राजसत्ता एक कीली के चारों तरफ थुपती चली जा रही है और हर छोटे बड़े में एक लहर दौड़ गई है कि वह आवाज़ लगाकर यही कहता फिरता है कि सब बल वहीं थोपे जाओ, वहीं थोपे जाओ, और वहीं थोपे जाओ । कीली सचमुच बड़े काम की चीज़ होती है । खूटा सचमुच सहारा होता है । पर वह तभी तक सहारा है जब मैं अपनी भैंस का पगहा अपने आप उस खूटे में बांधूँ; लेकिन खूटा जानदार हो और मेरे हाथ से मेरी भैंस का पगहा छीन कर अपने में बांध ले तो वह सहारा नहीं वह तो ढेकला कहलायगा । और आज हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है ? आज केन्द्र जानदार खूटा बना हुआ है और उससे जनता अपनी भैंसें नहीं बांध रही, वही पगहा छीन छीन कर भैंसों को बांध हुए है । भैंसें प्यासी हैं, वे खूटे से खोली नहीं जाती इसलिए गर्दन तोड़ती हैं । वे भूखी हैं, चरने के लिए खोली नहीं जाती, इसलिए वे रस्ता तोड़ने की कोशिश करती हैं । यह ठीक है कि आज केन्द्र का खूटा खूटा नहीं है । वह तो दीवार में सटाया हुआ बेंटा है और कोई भैंस उसे कितना ही जोर लगाकर उखाड़ नहीं सकती । पर इसका क्या भरोसा है कि पगहा भी इतना मज़बूत है या गर्दन की गाँठ भी इतनी ही सख्त है कि वह भैंस के जोर का पूरी तरह मुकाबला कर सकेगी ? हो सकता है पगहा भी इतना ही मज़बूत हो पर इसकी ही क्या गारंटी है कि भैंसवाले खड़े खड़े इस गर्दन तुड़ाने के तमाशे को चुपचाप उस समय तक देखते रहेंगे जिसकी कोई मियाद बंधी हुई नहीं है । किसी समय यह केन्द्र से बंधने की धत और धुन भली हो सकती है पर आज तो वह नहीं है । और कुछ बातों के लिए आज भी हो पर हर छोटी-बड़ी बात के लिए आज वह कैसे भी नहीं है । और हम आज ही की बात कह रहे हैं ।

राजसत्ता बिखरे :

आज तो इस बात की बहुत बड़ी जरूरत है कि सत्ता को हृद से ज्यादा बिखरेकर जनता को सुखी और शान्त बनाया जाय । तभी तो राष्ट्र का पिता सत्ता को सीधे बिखराने की योजना ऐन मरने के दिन कांग्रेस के सामने रख गया था । पर वह तो ऐसे उड़ा दी गई मानो वह एक ऐसे कोरे संत की कही हुई बात थी जिसका सीधे-नासीधे कभी राजनीति से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा था । हमें संतों की दुहाई पीटने की आदत नहीं है और हवाले दे देकर लिखना भी हमारा तरीका नहीं है । हम तो आखिर-पर जोर इसीपर देना चाहते हैं कि किसी तरह का भी बल क्यों न हो इकट्ठे होने से दुखदाई होता है और बिखर जाने से सुखदाई । बस, राजसत्ता बिखर कर ही, परतरीके से बिखर कर ही हिन्दुस्तान में सुख-शान्ति फैला सकती है और सुख-शान्ति का स्वाद पाकर ही जनता उसकी कदर करना सीख सकती है, उसको सरसाने में लग सकती है, उस के बनाये रखने की योजनाओं में जुट सकती है और उसपर अगर किसी तरफ से भी धाफ़त आये तो सर से कफ़न बांधकर उसकी रक्षा के लिए भी निकल सकती है । जान लेने की तैयारी से कभी किसी ने देश की रक्षा नहीं की । जान देने की तैयारी से ही देश की रक्षा हुआ करती है और जान देने के लिए वही तैयार हो सकते हैं जिन्हें सुख-शान्ति की घाट पड़ गई हो । और सुख-शान्ति सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने बल को दबाने और अन्याय को दबाने के सिवा और है ही क्या चीज़ ?

सुख-शान्ति ही सब कुछ है । उसी को जानना और समझना चाहिए । उसी को पाना सब कुछ पाना है और उसको पाकर अपने पर पूरा अधिकार हो ही जाता है । और अपने पर अधिकार करना ही सुखी होना और औरों को सुख-शान्ति बांटना है ।

: २ :

श्रमणों की समस्या

भदन्त आनन्द कौसल्यायन

आर्य-संस्कृति में जैन तथा बौद्ध परिव्राजक ही सामान्यतः 'श्रमण' कहलाते हैं। आर्य-संस्कृति की यदि दो शाखाएँ मानी जायं: वैदिक तथा अवैदिक; तो जैन तथा बौद्ध 'श्रमण' ही अवैदिक संस्कृति के प्रतिनिधि हैं।

'वैदिकों' के लिये 'अवैदिक' होना जैसे निग्रह तथा निन्दा का भी विषय हो सकता है, ठीक उसी तरह 'अवैदिकों' के लिए 'वैदिक' होना थोड़े उपहास का विषय है।

"वैदिक" धर्म का संन्यास-मार्ग कदाचित्, श्रमण संस्कृति की ही देन है। इसलिये जब हम 'श्रमणों की समस्या' की चर्चा कर रहे हैं तब प्रकारान्तर से सभी शास्त्र-सिद्ध परिव्राजकों की समस्या सामने आती है। 'श्रमण' और 'संन्यासी' में भेद करने का हमारा आग्रह भी नहीं है।

ऐसे भी विचारक हैं जो संन्यास-आश्रम को ही मात्र अप्राकृतिक मानते हैं। उनकी दृष्टि में किसी को भी कभी भी 'श्रमण' अथवा 'संन्यासी' नहीं बनना चाहिए। ऐसे विचारकों की बातें अभी रहने दें।

सामाजिक-कारणों से, आर्थिक-कारणों से, नैतिक अथवा आध्यात्मिक कारणों से आज से ढाई हजार वर्ष से भी पहले श्रमण-संस्था की नींव पड़ी होगी। तब से उसने लगभग सभी धर्मों में किसी-न-किसी रूप में स्थान पाया है।

हर संस्था के कुछ-न-कुछ नियम, कुछ-न-कुछ विनय (डिसिप्लिन) रहती है। श्रमण-संस्था की भी है। जैन श्रमणों की है। बौद्ध भिक्षुओं की है। उतनी व्यवस्थित न सही, किन्तु हिन्दू संन्यासियों की भी है ही।

श्रमणों की समस्या

२३

आज हम 'श्रमणों की समस्या' पर किसी ऐसी सामाजिक दृष्टि से विचार नहीं करने जा रहे हैं, जिस प्रकार हम 'भिखमंगों की समस्या' पर विचार करते हैं। हम इस प्रश्न पर श्रमणों की अपनी दृष्टि से विचार करना चाहते हैं।

श्रमणों की अपनी समस्या गहरी है। उसका 'धर्म' और 'जीवन' से सम्बन्ध है, इसीलिये वह कम-से-कम उनके अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने जैन "श्रमण" और बौद्ध "भिक्षु" मित्रों के जीवन से दो-एक उदाहरण देकर उस समस्या की ओर अंगुली-निर्देश करना चाहता हूँ।

सारनाथ (बनारस) बौद्ध-तीर्थ तो है ही, वह तीर्थङ्कर श्रेयान्सनाथ की भूमि होने से जैन-तीर्थ भी है। वहाँ एक जैन-मंदिर है। प्रायः कुछ-न-कुछ लोग बौद्ध-मंदिर के साथ जैन-मंदिर के दर्शनार्थ भी आते ही रहते हैं। मैं सारनाथ में काफी समय रहा हूँ और अब भी मन का सम्बन्ध बना ही है। 'तथागत' की धर्म-चक्र-प्रवर्तन भूमि होने से किसी भी 'भिक्षु' का ही नहीं, किसी भी भारतीय का ही नहीं, विश्व के किसी भी नागरिक का उससे सम्बन्ध टूट ही कैसे सकता है? जब मैं सारनाथ में रहता था तब प्रायः रोज घूमने जाता। एक दिन शाम को चला जा रहा था कि उधर से एक जैन मुनि आते दिखाई दिए। उन्होंने पूछा :

“सारनाथ-मंदिर कितनी दूर है?”

मंदिर उस स्थान से एक मील भी दूर नहीं रहा होगा, किन्तु थके हुए का योजन लम्बा हो ही जाता है। मैंने सोचा, यदि मैं इनके साथ वापिस लौट चलूँ तो इन्हें 'साथ' हो जायगा और मैं बातचीत करके इनकी चर्या के सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ नई जानकारी प्राप्त कर लूँगा। इनका रास्ता कटेगा और मेरा शान बड़ेगा।

मुनिजी से कुछ ही दूर पर दो आदमी बहुत-सा सामान लिए आ रहे थे। उनकी ओर संकेत करके मैंने पूछा :

“यह आदमी आपके साथ हैं ?”

“हाँ !”

“तो आप जत्र यात्रा में रहते हैं, तब आपकी भिक्षा की क्या व्यवस्था रहती है ? हमने सुना है कि जैन मुनियों की ठण्डे-गर्म पानी के विषय में भी मर्यादा है ।”

“हम जहाँ जाते हैं, भिक्षा कर लेते हैं ।”

“आप अपने साथ के इन दो आदमियों से भोजन क्यों नहीं बनवा लेते ?”

“हम अपने लिये इनसे भोजन नहीं बनवा सकते । हाँ, यह अपने निज के लिये भोजन बनाते हैं । उसमें से हम ‘भिक्षा’ ले लेते हैं ।”

अब आप ज़रा विचार कीजिए कि इस द्रविड़-प्राणायाम का क्या अर्थ है ? मुनि महाराज ‘भिक्षा’ ग्रहण करते हैं । वे उन्हीं दो आदमियों की बनाई हुई ‘भिक्षा’ ग्रहण करते हैं ! वे दोनों आदमी जहाँ जहाँ मुनि महाराज जाते हैं सामान लिये उनके साथ-साथ चलते हैं ! किसी न किसी श्रद्धालु सेठ ने मुनि महाराज के लिए ही यह व्यवस्था कर रखी है । यह सब होने पर भी मुनि महाराज को यह स्वीकार करने में अनौचित्य मालूम होता है कि वह भोजन उनके लिये बनता है ।

आप इसे कदाचित् मुनि महाराज का ‘ढोंग’ कहेंगे । किसी के भी आचरण के लिये सहसा “ढोंग” शब्द का उपयोग करने से सरल कोई दूसरा काम नहीं । किन्तु हमें इसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए ।

मेरी समझ में मुनि महाराज “ढोंगी” नहीं थे । वे वैसा ही करने के लिये मजबूर थे । उनके जैसे मानसिक संस्कार थे और उनकी जैसी आर्थिक वा भौतिक परिस्थिति रही उसमें वे और कुछ कर ही नहीं

श्रमणों की समस्या

२५

सकते थे । ठीक उन्हीं की परिस्थिति में कोई भी दूसरा आदमी और कुछ कर ही नहीं सकता ।

वे मुनि थे । भिक्षा उन्हें मांगनी ही चाहिए । श्रमण-संस्कृति ने भिक्षा-संस्था की जो कल्पना की और उसका जो विकास किया उसमें मूल बात यही है कि संन्यासी समाज के लिए 'दूभर' न हो । उसका समाज पर कम-से-कम भार पड़े । यहाँ तक कि किसी को भी 'उसके लिए' भोजन न बनाना पड़े । गृहस्थ जो अपने लिए बनाए उसी में से मधूकरी-वृत्ति से साधु चार घरों से थोड़ा थोड़ा लेकर अपना जीवन-निर्वाह कर ले । इसी दृष्टि से जैन-श्रमणों की चर्या में यह उत्कृष्ट नियम है कि वह वही भोजन करें जो उनके लिए न बना हो । अब इस नियम के रहते मुनि महाराज "अपने लिए" उन आदमियों से भोजन बनवाने लग जाँएँ तो उनमें तथा दो नौकरों को साथ साथ लिए फिरनेवाले किसी भी सेठ-साहूकार में अन्तर ही क्या रह जायगा ?

प्रश्न होता है, तब वे जहाँ जाते हैं वहीं "भिक्षा" क्यों नहीं मांग लेते ? आज प्रायः भिखारी ही 'भिक्षुक' रह गए हैं । भिखारियों को जो और जैसा भोजन जैसे मिलता है उसे आज कौन श्रमण ग्रहण करने के लिये तैयार है ? और सच्ची बात है 'श्रमण' को यदि 'भिक्षा' मिलती है तो पूज्य-बुद्धि से ही मिलनी चाहिए; कुछ दया-बुद्धि से नहीं । 'श्रमण' अपरिग्रही है, वह दरिद्र नहीं है । वह भिक्षु है; भिखमंगा नहीं है । जिस दिन श्रमण भिखमंगा हो जायगा उस दिन उसकी तेजस्विता ही नष्ट हो जायगी ।

फिर मुनि-महाराज को 'पानी' भी तो ऐसा 'पक्का पानी' ही चाहिये है जो उनके लिए गरम न किया गया हो ! तब वे घर घर भिक्षा मांग ही कैसे सकते हैं ? परिणाम वही होगा, जिसका उक्त मुनि महाराज की चर्या में दर्शन हुआ है ।

१- प्राशुक अथवा गरम किया हुआ या स्वाद बदला हुआ जल । -सं०

अब मैं अपने ही एक स्नेह-भाजन श्रमण महिन्द्रजी का उदाहरण लेता हूँ। जैन-श्रमणों की तरह बौद्ध-श्रमणों से भी पास में पैसा न रखने की आशा की जाती है। श्रमणों की दोनों 'विनयों' में ही नहीं, सभी परिव्राजकों को रुपया-पैसा रखना वर्जित है। श्रमण भिक्षा-जीवी है। रोज की रोज भिक्षा मांग खाता है। पैसा उसके किस काम का ? पैसा रखेगा तो संग्रह भी हो ही जायगा। उस के नष्ट होने का भय रहेगा और उस के सुरक्षित रखने की चिन्ता।

किसी भी भिक्षु अथवा श्रमण को क्या जरूरत पड़ी कि वह अपने आप को 'निन्नानवे' के फेर में डाल व्यर्थ हैरान हो ! इसीलिये श्रमण-संस्था में प्रत्येक के लिये 'अपरिग्रही' रहना श्रेष्ठ नियम ठहराया गया है।

श्रमण महिन्द्र बर्मा से बौद्ध-दीक्षा लेकर आए हैं। नया मुल्ला बहुत अल्ला-अल्ला पुकारता है, यह एक सर्व व्यापक सिद्धांत है। विचारे श्रद्धापूर्वक जितना ज्ञान है उस के अनुसार 'विनय' पालन करने की पूरी चेष्टा करते हैं। पैसा न रखने का नियम तो एक अत्यन्त सीधा-सादा नियम है, जो सारी श्रमण परम्परा को मान्य है। इन पंक्तियों का लेखक, स्वयं वर्षों पैसा न रखने और रखने की उलझनों में उलझा रहकर आज किसी भी सामान्य आदमी की तरह पैसे का व्यवहार करने लग गया है। उस दिन सारनाथ में महिन्द्रजी ने कहा :

“मेरा कुछ पैसा अमुक.....आदमी के पास है। वे जा रहे हैं। आप के साथ कोई आदमी हो तो उसे दिलवा दूँ।”

“आपका पैसा मैं भी ले सकता हूँ” कह कर मैंने वह अपने साथी गुणाकर को दिलवा दिया।

दूसरे दिन उन के दिल्ली के पास एक छोटीसी जगह तक जाने की व्यवस्था करनी थी। मैंने उसके पैसे ले यह व्यवस्था कर देने का भार

श्रमणों की समस्या

२७

अपने ऊपर लिया । स्टेशन पहुँचा । बाबू से पूछा—“आप एक टिकट दे देंगे ? ”

“अभी गाड़ी आने में देर है । एक घण्टे बाद मिलेगा । ”

टिकट मुझे इन स्वामीजी के लिए चाहिये । यह पैसा पास रखते नहीं । मैं इन्हें अभी टिकट ले देकर चला जाना चाहता ~ । ”

“तो लाइए, किन्तु कहाँ का चाहिए ? ”

स्टेशन का नाम बताया । वह छोटा-सा स्टेशन ! बाबू की रेलवे-गाईड तक में नहीं ही मिल रहा था । मैं ढाई रुपये का एक नया टाइम-टेबल खरीद लाया । उसमें स्टेशन का नाम दिखा कर कहा—“यह स्टेशन है । ”

वह छोटा-सा स्टेशन ! उसकी मील-संख्या नहीं दी थी ! पता नहीं कितना किराया लगता है ? वहाँ गाड़ी ठहरती है या नहीं ? इन दो प्रश्नों को लेकर काफी परेशानी हुई । अंतमें बाबू ने दो दो स्वामियों के प्रभाव से प्रभावित होकर टिकट बना दिया ।

मैं चाहता था कि महिन्द्रजी को रात को सुरक्षित सोने की जगह भी मिल जाए । स्थान सुरक्षित करनेवाले क्लर्क से भेंट की । उसने कहा :

“गाड़ी आने पर ही हम कुछ कर सकते हैं । गाड़ी यहाँ से चलती होती तो अभी कुछ कर देते । ”

“यह स्वामीजी पैसा नहीं रखते । मैं अभी जाना चाहता था । आप पैसा ले लें । गाड़ी आनेपर स्थान सुरक्षित कर देंगे । ”

“यदि गाड़ी में स्थान न मिले तो मैं यह पैसा इनको लौटा दूँ ? ”

“अरे ! यह पैसा रखते होते तब तो बात ही क्या थी ! आप ऐसा करें, यह पैसा रख लें । मैं फिर आ जाऊँगा । यदि इन्हें स्थान न मिला तो आप यह पैसा मुझे लौटा दीजिएगा । ”

महिन्द्रजी साथ साथ यह सब देख सुन रहे थे । अब उनसे न रहा गया । वे छोटे बच्चे नहीं हैं । उन्होंने गृहस्थ-जीवन में, पौज में ओवर-सीयरी की है । उनके मन में छिपे हुए बुद्धिवाद ने उनकी भावना पर कड़ी चोट लगाई । वह चोट आँसू बनकर बहने लगी । बोले :

“भन्ते ! मुझे क्षमा करें ! मैं नहीं जानता कि यह शील-पालन है अथवा दुःशीलता है ? आप को मेरे कारण इतना कष्ट हो रहा है !”

मैंने उन्हें दाढ़स बंधाई :

“मामूली बात है । किसी भी नियम-पालन में थोड़ी असुविधा होती ही है । हर नियम-पालन के एक से अधिक पहलू होते हैं । आपको यह पहलू भी देखने मिल रहा है । अच्छा ही है ।”

अब भी महिन्द्रजी पैसा न रखने के उस नियम को निवाह तो रहे हैं, किन्तु मैं जानता हूँ कि उनके हृदय में एक स्थायी संदेह घर किए हुए है कि यह शील-पालन है अथवा दुःशीलता !

श्रमण-संस्कृति के दो सामान्य प्रतिनिधियों के जीवन से ली गई यह दोनों सामान्य घटनाएँ किस बात की ओर इशारा करती हैं ? ये कौनसा प्रश्न हमारे सामने लाकर खड़ा करती हैं ?

प्रश्न सीधा-सादा है । वह प्रश्न किसी भी चारित्र्य-हीन ढोंगी श्रमण को हैरान नहीं करता । किन्तु, जिसके जीवन में सचाई है, जिसके जीवन में श्रद्धा है, उसके सामने सचमुच यह बड़ा भारी प्रश्न है कि आखिर वर्तमान समय में उसके धर्म-जीवन का माप-दण्ड क्या हो ?

अभी कल-परसों जम्बूमुनिजी महाराज तथा उनके गुरुजी ने मुझसे मिलने आने की कृपा की थी । गुरुजी ने जो प्रश्न मुझसे पूछे वह ऐसे ही थे “रेल में चढ़ सकते हैं या नहीं ? शाम को भोजन खा सकते हैं वा नहीं...इत्यादि ।”

श्रमणों की समस्या

२९.

उनके वे प्रश्न महत्त्वपूर्ण हैं। वे बतलाते हैं कि आज के अनेक चिन्तक श्रमणों के लिए यह एक बड़ी भारी समस्या है कि वे रेल में चढ़ें अथवा नहीं? शाम को खाएँ अथवा नहीं?

किन्तु, मैं इसे दूसरी दृष्टि से देखता हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या एक 'मुनि' रेल में चढ़ने से 'मुनि' नहीं रहता और यदि वह रेल में नहीं ही चढ़े तो क्या यह कोई ऐसी विशेष बात है जिसे किसी के भी धार्मिक-जीवन का ऊँचा माप दण्ड माना जाय?

'विनय' के सभी नियम साध्य हैं, साधन नहीं। क्या देश-काल के बदलने पर साध्य की सिद्धि के लिए बहुधा साधन बदलने नहीं पड़ते? कुछ लोगों का कहना है कि यदि कोई श्रमण 'विनय' नहीं पालन कर सकता तो उसे 'श्रमण' बनने की ही क्या आवश्यकता है? मेरी जिज्ञासा है कि क्या जीवन के धर्म-रूप का मात्र प्रतिनिधित्व इन नियमों के पालन द्वारा ही होता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि देश-काल की ओर ध्यान न दे जड़वत् किन्हीं नियमों को पालते रहना 'अधर्म' का ही द्योतक हो? प्रश्न नियमों के पालन कर सकने अथवा न कर सकने का नहीं है। प्रश्न नियमों के पालन करने के औचित्य तथा अनौचित्य का है।

'नियमों' का पालन करना और वर्तमान युग के सामान्य जीवन के माप-दण्डों के मुताबिक कौतुकागार की सामग्री बनकर पड़े रहना एक रास्ता है।

'नियमों' को पालन-करना उचित न समझने के कारण दीक्षा का ही त्याग कर देना दूसरा रास्ता है।

'नियमों' के पीछे जो भावना है उसे ग्रहण कर देश-काल के अनुसार उन नियमों का नये ढंग से पालन करना तीसरा रास्ता है।

श्रमणों का भविष्य इन तीन रास्तों में से एक सही रास्ता चुनने पर निर्भर करता है। यदि 'संघ' न चुन सके तो फिर व्यक्ति को ही चुनाव करना पड़ेगा।

देखें श्रमण-संस्था का भावी इतिहासकार क्या लिखने जा रहा है।

: ३ :

कर्त्तव्य और अधिकार

महात्मा भगवान्दीनजी

जीवन का निचोड़

विलायत के कवि बायरन के बारे में यह बात मशहूर है कि जब वह इम्तिहान के परचे के इस सवाल के बारे में सोच रहा था कि “पानी इजरात ईसा को देख कर क्यों शराब बन गया ? इस पर एक लेख लिखो” तो वह घंटों सोचता रहा पर उसकी समझ में कुछ न आया । जब तीन घंटे पूरे होने को हुए तब कहीं उसको एक बात सूझी और वह यह थी कि जब पानी ने अपने मालिक को देखा तो वह खिल उठा । बस, उस सवाल के जवाब में इतने ही शब्द लिखे और कहते हैं कि वह इम्तिहान में पास हो गया । इसी तरह मैंने बहुत सोचा कि कर्त्तव्य और अधिकार के बारे में क्या लिखा जाय तो मुझे बस इतनी ही बात सूझी कि कर्त्तव्य और अधिकार भारतीयों के जीवन का निचोड़ है और उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि ‘कर्त्तव्य-पालन पर हम अधिकार हासिल करें और कर्त्तव्य-पालन ही हमारा अधिकार है ।’ इतना कहकर रोडिओ वालों की और आप सुननेवालों की तसल्ली हो जानी चाहिए थी । पर न मैं बायरन हूँ और न आप उस तरह के परीक्षक हैं । इसलिये तेरह मिनट अभी और कुछ कहना पड़ेगा ।

दोनों एक दूसरे में समाहित

कर्त्तव्य और अधिकार भारतीय जीवन में इतने घुलमिल गये हैं कि आप अधिकार को बिना कर्त्तव्य के और कर्त्तव्य को बिना अधिकार के न

कर्त्तव्य और अधिकार

३१

सोच सकते हैं, न बोल सकते हैं और न कर सकते हैं। हमारे यहाँ का शब्द 'अधिकार' अपने पीछे एक कथा छिपे हुए है। और यही हाल कर्त्तव्य का है। अधिकार और कर्त्तव्य के लिए अंगरेजी में शब्द हैं Right और duty। पर ये Right और duty ही कब वह माने रखते हैं जिन मानों को लेकर आज अमेरिका और यूरोप वाले लड़ रहे हैं और जिनकी देखादेखी हम सब भारतीय भी वैसा ही कर रहे हैं। अधिकार पाने की लड़ाई कैसी ? और अधिकार हासिल करने से रोकेगा कौन ? अधिकार हमारी कमाई का फल होता है। वस, वह कर्त्तव्य कमाई का फल है। अधिकार के और हमारे बीच में कोई आ ही कैसे सकता है ? क्या पेड़ और फल के बीच में कभी कोई आ पाया है ? क्या दीपक जलने और प्रकाश होने के बीच में कभी कुछ देर लगी है ? इसी तरह कर्त्तव्य-पालन करते करते हम किसी-न-किसी अंश में अधिकार पाते ही रहते हैं। और किसी-न-किसी चीज़ के अधिकारी बनते ही रहते हैं। उसको साफ़ साफ़ समझने के लिए आइये आपको उन दिनों के भारत में ले चलें जिन दिनों सिकन्दर का हमला उसकी उत्तर-पच्छिमी सरहद पर हो रहा था। सिकन्दर के मुक़ाबले में था राजा पुरु। हम यहाँ इस वक्त सिकन्दर और पुरु के कर्त्तव्यों और अधिकारों की चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे उस वक्त के दो मामूली आदमियों की जो खेती का काम करते थे। ये दोनों पुरु के दरबार में उस वक्त पहुँचते हैं जब सिकन्दर भी पुरु के पास बैठा हुआ होता है। इन दोनों मामूली आदमियों में से एक को दूसरे के खिलाफ यह शिकायत थी कि यह मेरी ज़मीन में निकले हुए खजाने को लेने से इन्कार करता है और दूसरा अपने इन्कार की वजह यह बताता था कि जिस ज़मीन में यह खजाना निकला है उस ज़मीन को मैं इसके हाथों बेच चुका और जब वह ज़मीन मेरी नहीं रही तो उसमें से निकला हुआ खजाना मेरा कैसे हो सकता है ?

कर्तव्य और अधिकार का एकता का आनन्द

देख लिया आपने ? कर्तव्य और अधिकार भारतीय जीवन में मिलकर कितने एकमेक हो गये और इनकी एकमेकता आज भी कभी कभी जब आँखों के सामने आ जाती है तब देखने वाले गद्गद हो उठते हैं । और इसी एकमेकता के फल की बात कभी हम सुन लेते हैं तो इतना मन उमंगता है कि आँखों से आँसू बहने लगते हैं । अब सोचिये जो आदमी इस तरह से अपने जीवन में कर्तव्य और अधिकार को एकमेक कर लेगा उसको इस एकमेकता के आधारपर खड़े होकर काम करने में कितना आनन्द आयेगा । पुरु-युग के उस किसान के आनन्द को ज़रा तोलकर देखिये कि जब उसकी ज़मीन में ख़जाना निकलता है तो वह अपना यह कर्तव्य समझता है कि वह उस खजाने के असली मालिक को जितनी जल्दी हो सके यह खुश ख़बर सुनाये कि उसकी ज़मीन में उसका ख़जाना मिला है और वह अपना खजाना ले ले । ख़जाने के लिये अपने कमाये हुए पैसे से मोल ली हुई अपनी ज़मीन को उसकी ज़मीन मानता है । उसका कर्तव्य उसे सिर्फ ज़मीन पर अधिकार करने को कहता है, उस ख़जाने पर नहीं, जो ज़मीन के सौदे में शामिल नहीं है । उधर दूसरा आदमी यानी ज़मीन बेचने वाला जो अपनी ज़मीन पर की हुई मेहनत का फल रुपयों के रूप में पूरा पूरा पा चुका होता है, वह अपना यह कर्तव्य समझता है कि वह सिर्फ़ उन रुपयों पर अधिकार जमाये जो उसे सौदे में ईमानदारी के साथ मिले हैं, न कि उस ख़जाने पर जिसके बारे में न वह जानकार है न अजानकार । अब अगर पहला आदमी ख़जाने पर अधिकार जमा लेता है तो वह कर्तव्य भूल जाता है और कर्तव्य के बिना पाया हुआ अधिकार डरावनी चीज़ है । वह चरित्र तो बिगाड़ता ही है, जान को भी जोख़म में डालता है । इसी आदमी के मामले को ले लीजिये । अगर वह ख़जाने को अपना अपना अधिकार मानता है तो उसे अपने कर्तव्यशील मन

कर्त्तव्य और अधिकार

३३

को सौ असत्य युक्तियाँ देकर समझाना पड़ेगा और तब भी मन की पूरी पूरी तसल्ली न हो पायेगी और अगर किसी तरह से मन की तसल्ली उसने कर ही ली तो मन कर्त्तव्य-शीलता में या तो ढीला पड़ जायगा या उसे हमेशा के लिये खो बैठेगा। और फिर चरित्र क्या रह जायेगा ? रही जान-जोखम की बात। यह हो सकता है कि उस खजाने का असली या नकली कोई दावेदार खड़ा हो जाय और न मालूम फिर किन किन झंझटों का सामना करना पड़े और हो सकता है जान भी जोखम में पड़ जाय।

अधिकार का अधिकारी

यहाँ हमें बंकिम बाबू की दलील याद आ जाती है। वे अपने 'चौबे का चिट्ठा' में एक जगह अदालत में 'चौबेजी' के मुँह से बड़े मजे की बात कहलवाते हैं। उस बात से अधिकार और कर्त्तव्य दोपहर के चमकते हुए सूरज की रोशनी में आ जाते हैं। चौबेजी के मुँह से निकलता है "जीत के बल पर अगर किसी देश पर किसी राजा का अधिकार ठीक माना जा सकता है, तो चोरी के नाते चोरी की हुई चीज़ पर चोर का अधिकार क्यों ठीक नहीं ?" यहाँ यह तो समझ ही लेना चाहिए कि ईमानदारी से कर्त्तव्य-पालन करते हुए मेहनत से कमाई हुई चीज़ पर ही अधिकार सच्चा अधिकार होता है। और उस अधिकार को कोई देता नहीं। वह हमारे कर्त्तव्य को प्रकृति की देन होती है और उसी का दूसरा नाम अर्जन करना है। 'ईमानदारी से कर्त्तव्य पालन करते हुए' शब्द निकाल दिये जायँ तो अधिकार ना-सच्चा अधिकार हो जाता है। क्योंकि मेहनत तो चुराकर चीज़ लाने में भी कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है जितनी उसके कमाने में भी न होती। चोर भी तो रातों जागता है। और हर रात उसको माल नहीं मिल जाता। जब भी कुछ उसको मिलता है वह कई रातों के जागने का फल होता है। इतना ही नहीं

उसे उस काम में कभी कभी अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। और फिर भी राजा न उसकी इस मेहनत का खयाल करता है और न जान जोखिम में डालने की ओर ध्यान देता है। इतनी मेहनत से चुराई हुई चीज़ को राजा उससे छीन लेता है और जिसकी होती है उसको दे देता है। वह इतना ही नहीं करता, चोर को सज़ा देता है और उससे ऐसी मेहनत कराता है जिसे करने को उसका जी नहीं चाहता। यह वह इसलिये कराता है कि चोर कर्त्तव्य को समझने लगे, ईमानदारी को जान जाय और इस तरह सच्चे और ना-सच्चे अधिकार में अन्तर करना सीख जाय। हाँ, तो अब यह पता चला कि कोरी मेहनत से किसी चीज़ पर अधिकार नहीं होता और अगर हो भी जाय तो या तो वह अधिकार अपनी जान जोखिम में डालेगा या किसी दूसरे को सतायेगा या दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जायगा। जैसे कोई डाक्टर की कला पर कोरी मेहनत से अधिकार कर ले और उसके साथ ईमानदारी और कर्त्तव्य-पालन की पुट न दे तो नतीजा यह होगा कि वह डाक्टर लालच में पड़कर ऐसे ऐसे निकम्मे काम करने लग जायगा जिसकी वजह से लोग दुखी होंगे और एक दिन वह खुद भी आफत में फँसेगा और हो सकता है फाँसी पर भी चढ़ा दिया जाय। यही वजह थी कि भारत के ऋषि-मुनि और भारत के बड़े बूढ़े किसी को किसी विद्या पर अधिकार कराने से पहले उसको अच्छी तरह से परख लेते थे और देख लेते थे कि वह ईमानदारी के साथ कर्त्तव्य पालना जानता है या नहीं। यह दो बातें देखकर ही वे किसी को विद्या पर अधिकार कराते थे। यह बात ग़लत है कि वे शूद्रों का विद्या पर अधिकार नहीं कराते थे और जिसने जाबाली ऋषि की कथा पढ़ी है वह तो यह मान ही नहीं सकता कि भारत के ऋषि-मुनि ऐसा भेद-भाव करते थे। कथा यों है :

जाबाली नाम की एक नारी थी। उसे सच पर अधिकार था और इस नाते कर्त्तव्य-पालन पर भी अधिकार था। उसके बारह बरस के बेटे को विद्या पढ़ने की सूझी। उन दिनों पाठशाला में गोत्र बताना जरूरी होता था और गोत्र बिना बाप के होता नहीं। इसलिये जब वह लड़का अपनी मां से गोत्र पूछने पहुंचा तो उसकी मां ने सच सच कह दिया कि गुरुजी से कह देना कि मैंने तुम्हें घर का दासी का काम करते हुए पाया है। अगर तेरा गोत्र कुछ हो सकता है तो जाबाली के नाते जाबाल हो सकता है। इसी कर्त्तव्य-अधिकार मिले मंत्र ने गुरुजी का दिल पिघला दिया और गुरुजी को उसे अपना विद्यार्थी मानना पड़ा और यही लड़का फिर जाबाली ऋषि बन गया।

कर्त्तव्य-पालन और अधिकार

यह बात किसी दर्जे तक सच है कि उन दिनों के ब्राह्मण आमतौर से ईमानदारी के साथ कर्त्तव्य-पालन करने के जन्म से ही आदी होते थे, इस वास्ते ब्राह्मणों को विद्या दी जाती थी, पर वह बात तो आज भी मौजूद है और हर देश में मौजूद है। आज ईमानदार और सब तरह से योग्य आदमी को दफ्तर में इतनी जल्दी जगह नहीं मिलती जितनी एक बी० ए० या एम० ए० को। इसकी वजह सिर्फ यही है कि आमतौर से कालेज से निकले हुए स्नातक ईमानदारी से कर्त्तव्य-पालन करने वाले निकलते हैं। यह दूसरी बात है कि आज यह बात भारत में ही नहीं, सभी जगह ढीली पड़ गई। पर यहाँ तो कहना इतना ही है कि कर्त्तव्य-पालन की कला आये बिना या कर्त्तव्य-पालन का अभ्यास हुए बिना न अधिकार कोई कराता है, न अधिकार कोई देता है, न अधिकार कोई मिलता है और न अधिकार कोई कमाया जा सकता है।

पुराणों की कथाएँ

भारत के सारे पुराण कर्त्तव्य और अधिकार की एकमेकता से पैदा हुए फलों का कथन मात्र हैं। हो सकता है कहीं कहीं उन पुराणों में ऐसी

चीज़ आगई हो जो इस कसौटी पर न कसी जा सके। तो हम अपने सुनने वालों से यही प्रार्थना करेंगे और अगर हम सलाह देने के अधिकारी हैं तो यही सलाह देंगे कि वे पुराण के उस भाग से कोई सीख न लें जो इस कसौटी पर ठीक नहीं उतरता। आजकल सब जगह धोंगामुक्ती से पाये अधिकार का बाज़ार गर्म है और अकर्त्तव्य ही कर्त्तव्य का ज़ामा पहने बहुत सस्ते दामों बाज़ार में मिलता है। इसलिये हमें उसकी खरीदारी से बचना चाहिए और थोड़ीसी तकलीफ उठाकर कर्त्तव्य और अधिकार के उसी रास्ते पर आ जाना चाहिए जिसे भारत के लोग अपनाये हुए थे, आज भी कुछ कुछ अपनाये हुए हैं और जिनकी वजह से ही भारत उठा है, आज़ाद हुआ है, चमका है और चमकता हुआ रखा जा सकता है।

कर्त्तव्य आत्मानन्द है

गेहूं के बीज को आप कर्त्तव्य समझिये, गेहूं के डंठल को आप अधिकार मानिये और गेहूंओं से लदी गेहूं की बाल को आप आत्मानन्द मानिये, और अब सोचिये कि गेहूं बोकर कोई किसान भूसा मिल जाने की चर्चा करे और गेहूंओं को बिल्कुल भूल बैठे तो वह आप की नज़रों में हँसी की चीज़ होगा या नहीं? ठीक इसी तरह अगर आप कर्त्तव्य-पालन करने के बाद आत्मानन्द की बात छोड़कर अधिकार-अधिकार के ही गीत गाँय तो समझदार आप पर हँसेंगे या नहीं? दोस्तो, इसलिये मेरी तो यही सलाह है कि आप कर्त्तव्य किये जाइये और आत्मानन्द की गंगा में डुबकियाँ लगाइये। अधिकार आप के पाँव छूता हुआ नज़र आयेगा।

सचाई का सिक्का

सचाई...सिक्के के कर्त्तव्य और अधिकार के दो पहलू हैं और जिसके हाथ में सचाई का सिक्का है उसी को आत्मानन्द प्राप्त है।

[ऑल इण्डिया रेडियो नागपुर से प्रसारित]

: ४ :

वैश्यों का धर्म

आचार्य विनोबा

हिन्दू-धर्म ने एक समाज-रचना की थी जिसमें लोगों को काम बांट दिया गया था। उसमें वैश्यों के लिए कृषि, वाणिज्य और गौ-सेवा ये तीन धर्म बताए गए हैं।

धर्म वह है जिसके लिए मनुष्य शरीर धारण करता है। धर्म सब के भले के लिए होता है। जो ऐसे धर्म को मानता है वह जरूरत पड़ने पर आवश्यक त्याग भी करता है। कुटुंब में लोग एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं उसी से उन्हें धर्माचरण का समाधान रहता है। ऐसा न होता तो हमारी हालत जानवरों-जैसी होती। इस कुटुंब-व्यवस्था ने हमें जानवर बनने से बचा लिया। इसी प्रकार हर एक के लिए सामाजिक धर्म नियत किया गया था, जिसमें वैश्यों का धर्म कृषि, गौ-सेवा और वाणिज्य द्वारा समाज-सेवा करना बताया गया था।

किंतु वैश्यों ने कृषि और गौ-रक्षा को मुश्किल समझ कर उन्हें छोड़ दिया। बाद में यह काम ऐसे लोगों को सौंपा गया जो आवश्यक मेहनत तो कर सकते थे परंतु इस काम के योग्य शास्त्रीय ज्ञान उनके पास न था। इनका एक नया वर्ग बनाया गया जिसकी गिनती बाद में शूद्रों में होने लगी।

मैं मानता हूँ कि पुराने जमाने में वैश्य समाज के सच्चे सेवक होते थे। वे अपना पैसा, अपनी बुद्धि, सब कुछ समाज की सेवा में लगाते थे। इसीलिए उन्हें महाजन भी कहा गया है। समाज में व्यापारियों

की अच्छी प्रतिष्ठा हुए बिना तो उन्हें 'महाजन' नहीं कहा गया होगा । वे सत्य-निष्ठ और सेवा-परायण न होते तो यह पदवी उन्हें न मिलती ।

लेकिन जब खेती और गौ-रक्षा का धर्म उनसे छूट गया तो उनका तेज घटने लगा । फिर भी जिन लोगों ने समाज का यह काम संभाला उनमें और वैश्यों में परस्पर संबंध अच्छे रहे । परंतु मेहनत करने वाले लोग धीरे-धीरे हीन समझे जाने लगे । जब अंग्रेज व्यापारी यहां आए तो उन्होंने यह सारी परिस्थिति देखी । उन्होंने देखा कि व्यापारी लोग किसानों को नीचा मानते हैं, उनके हाथ का खाते-पीते नहीं । उनमें और व्यापारियों में प्रेमभाव नहीं है । इतनी दूर से आनेवाले अंग्रेजों के हाथ यह अच्छा मौका लग गया । उन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया । जब सारा व्यापार हमारे व्यापारियों के हाथ से उनके हाथ में चला गया तो उन्होंने यहाँ अपनी सेना भी बना ली । आगे का हाल तो आप सब जानते हैं ।

इस तरह दक्षता न रखने, कारीगरों को हीन मानने और चूसने के कारण व्यापारियों के हाथ में व्यापार के बजाय केवल दलाली बची रह गई ।

आज व्यापारी लोग भले-बुरे उपायों से धन कमाते हैं, और कुछ दान भी करते हैं । परंतु देश में उनकी प्रतिष्ठा नहीं रही । उनके लिए अब आदर के शब्दों का प्रयोग नहीं होता । दूकानदार कुछ खरीदने के लिए आए हुए छोटे बच्चों को भी ठगने से बाज नहीं आता । फिर ऐसा राष्ट्र कैसे उन्नत रह सकता है ?

प्रश्नोत्तर

प्रश्न—मुनाफे की मर्यादा क्या होनी चाहिए ?

उत्तर—वाणिज्य को गीता के अर्थ में अगर हम धर्म मान लेते हैं तो मुनाफे का सवाल ही नहीं उठता । किसान और आम जनता हमारी

वैश्यों का धर्म

३९

मालिक है। और हमें मालिक की सेवा करनी है। इसलिए मजदूर या किसान जो कुछ निर्माण करता है उसके वितरण में हमें सिर्फ मेहनताना लेना है और हर वक्त यह सोचना है कि देश की संपत्ति कैसे बढ़ सकती है। आठ घंटे काम कर के मजदूर केवल एक रुपया पाए और व्यापारी एक हजार, तो यह धर्म नहीं है। धर्मयुक्त व्यापार में न मुनाफा होना चाहिए न घाटा। तराजू के पलड़ों की तरह दोनों बाजू समान होनी चाहिए। लेकिन आज तो व्यापारियों के दिल में संचय की वृत्ति ने घर कर लिया है। सच्चा श्रीमान् तो वह है जिसका धन और धान्य, जैसे तुकाराम ने कहा है, घर-घर में भरा है। जिसके जीवन को उसके इर्द-गिर्द की जनता चाहती है, वह सच्चा धनी है। जिसे लोग चाहते ही नहीं हैं वह तो भिखारी है। कबीर का वचन है :—

पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम।

दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम ॥

नौका में पानी बढ़ जाने पर जैसे हम उसको, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बाहर फेंकते हैं, उसी तरह बढ़े हुए धन को घर के बाहर फेंक कर घर को बचाना चाहिए। यदि लेनेवाला मिल जाय तो उसका उपकार मानना चाहिए। फुटबाल की तरह धन का खेल होना चाहिए। गेंद को कोई अपने पास नहीं रखता। वह जिसके पास पहुँचती है वही उसे फेंक देता है। पैसे को इस तरह फेंकते जाइए तो समाज-शरीर में उसका प्रवाह बढ़ता रहेगा और समाज का आरोग्य कायम रहेगा। संस्कृत में पैसे को द्रव्य कहा है। 'द्रव्य' माने बहनेवाला। अगर वह स्थिर रहा तो रुके हुए पानी की तरह उस में बदबू आने लगेगी।

प्रश्न—महात्माजी ने तो कंट्रोल उठाया था, क्या अब पुनः कंट्रोल रखने से जनता को तकलीफ नहीं होगी ?

उत्तर—महात्माजी की सलाह तो ठीक ही थी, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। जिस राष्ट्र में चरित्र-शीलता नहीं है उसमें कोई योजना काम नहीं कर सकती। कंट्रोल उठाया तो चीजों के दाम बढ़ गए। नहीं उठाते तो काला-बाजार होता। मैंने इसका हल बताया है कि लगान में अनाज वसूल किया जाय। मैं मानता हूँ कि इस से हमारी समस्या काफी सुलझ सकती है। रहा कपड़े के बारे में, उसका मुख्य उपाय तो चरखा ही है। साथ-साथ आज जो मिलें हैं उन्हें देश की मिलिक्रयत करना चाहिए, समाजवादी तो इसकी मांग कर ही रहे हैं, किंतु मुझे भी परमेश्वर को साक्षी रखकर प्रार्थना-सभा में दुःख के साथ कहना पड़ा कि मिल-मालिकों ने देश को दगा दिया है। देश की मिलिक्रयत होने के बावजूद भी देशांत के लोगों को मिलों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हाथ से कपड़ा बना लेना चाहिए। उनको इस बारे में तालीम देने आदि का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। अगर अन्न और वस्त्र इन दो चीजों का हम इस तरह प्रबंध कर लेते हैं तो और चीजों की विशेष चिंता नहीं रहती।

इंदौर

१८-८-४८

: ५ :

संस्कारों का पागलपन

राजमल ललवाणी

दर्शन या काव्य की भाषा में जगत मुसाफिरखाना या सराय भले ही हो, लेकिन मेरे लेखे तो दुनिया एक पागलखाना ही है। और यह ऐसा पागलखाना है जिसमें पूज्य और पुजारी, मालिक और सेवक, पति और पत्नी, रोगी और वैद्य, अपराधी और न्यायाधीश, चोर और सिपाही, सभी पागल हैं।

“दुनिया कहती मुझको पागल,
मैं कहता दुनिया को पागल”

यह कोई मूर्ख की आवाज़ तो है नहीं, जिसकी उपेक्षा या घृणा की जाय। यह तो वास्तविक सत्य है—ऐसा सत्य जो पत्थर की रेखा से भी अमिट और स्थायी है। मैं जिसे पागल कहता हूँ, वह मुझे और साथ ही मेरे परिवार को भी पागल कहता है। अब अगर मैं झूठ नहीं बोलता हूँ तो वह कैसे सत्य नहीं बोलता होगा ?

पागलखाने में रहने वाला ही पागल होता है, ऐसी बात नहीं है—कभी कभी तो समझने में ही पागलपन आ जाता है।

बस, अब आप समझ गए होंगे कि पागलपन समझ का होता है। समझ एकतर्फी भी हो सकती है, लेकिन प्रायः वह दुहरी, तिहरी और सामूहिक ही होती है। संस्कार और परम्परा से बंधी आदतों के पीछे जो समझ का रवैया या प्रवृत्ति होती है, वह पागलपन सामूहिक या पारिवारिक होता है। वैयक्तिक पागलपन वह है जो आदतों पर निर्भर रहता है।

इस तरह वैचारिक, धार्मिक, राजनैतिक पागलपन भी हो सकते हैं। पागलपन जान बूझकर थोड़े ही बढ़ता या मजबूत होता है। खुद को यदि पता लग जाय तो वह पागलपन थोड़े ही रह जाएगा। यह तो दूसरों को ही दीखता है, और वहीं से उसे पनपने का अवसर मिलता है। आज मैं भी ऐसा ही एक पागलपन कर रहा हूँ। पागलों की दुनिया का मैं एक प्राणी, यदि बहक नहीं जाऊं तो ही विशेषता। मैं अक्सर बहक जाया करता हूँ, यह मेरी जागतिक स्थिति है।

इन पागलपन की बातों को मैं कैसी मानता हूँ, यह पाठकों का नहीं, मेरे जानने का विषय है। यहां कुछ उदाहरण देता हूँ। पाठक उन्हें निरुत्त होकर पढ़ें, विचार करें। कृष्ण भगवान का उपदेश है कि निष्काम कर्म करो। आप रोयें या हंसें तो इसकी जिम्मेदारी दृष्टव्य पागलों या पागलों के दर्शक की नहीं, निरीक्षकों की है। मैं तो अपना काम करूँगा, और ?—छुट्टी। और क्या ?

यह एक पागलखाना है। इसे पागलों का अजायब-घर ही कह लीजिए। यहां सैकड़ों प्रकार के रोगी रहते हैं।

शायद इसे आप जानते हैं कि पागलों का रोग शारीरिक नहीं, प्रायः मानसिक होता है। बेचारों का रोग तो होता है मानसिक, पीड़ा दी जाती है उन्हें शारीरिक। पानी जड़ को नहीं, पत्तों को पिलाया जाता है।

तो, उस पागलखाने का सुपरिण्टेण्डेंट एक समझदार आदमी था। उसकी २०-२१ वर्ष की पढ़ी-लिखी लड़की थी। उसने अपने पिता से—एक दिन कहा :

“पिताजी, मैं पागलखाना देखना चाहती हूँ।”

“क्यों, क्या करोगी देखकर ?”

“पागल कैसे होते हैं, जानना चाहती हूँ।”

संस्कारों का पागलपन

४३

पिता की अनुमति मिल गई—दूसरे दिने वह पागलखाने में जाकर पागलों का निरीक्षण करने लगी। पिता साथ में थे। किसी-किसी पागल का इतिहास धीनी पागल बनने के कारण को जानने की स्वाभाविक उत्कण्ठा को वह उसे दूबोती। लड़की के संकेत चले और उत्तर में पिता की जवान। वे कहते चले जा रहे थे मानों मारवाड़ का कोई चारण अपने यजमान के पुरखाओं की वंशवृत्ति में सुकन रहा हो। वे बिना विश्राम लिए कहते चले चल रहे थे—यह अपनी स्त्री को मारकर पागल हो गया है, वह धनिक से निर्धन बन जाने से ऐसा हो गया है, किसी का पिता मर गया है, किसी का पुत्र मर गया है, कोई मुकद्दमे में हार गया है। किसी को हँसने, रोने और किसी को कोई बात गुनगुनाने की आदत लग गई है। इतने में उस लड़की की नजर २५-२६ वर्ष के एक युवक पर पड़ी। वह पढ़ा-लिखा, सुन्दर और स्वस्थ था।

लड़की ने उसे अपने नजदीक बुलाया। उसने पास पहुँचकर नम्रता पूर्वक नमस्कार किया। उसके पास एक कम्बल थी। वहीं पेड़ के नीचे उसने कम्बल बिछाकर उस लड़की से बैठने को कहा।

लड़की के बैठनेपर वह भी विनय पूर्वक बैठ गया। पारस्परिक कुशल प्रश्न के उपरांत उनकी चर्चा चली।

“आपका शिक्षण कहाँ तक हुआ है?”

“मैं संस्कृत में एम० ए० हूँ।”

“आप यहाँ कैसे आ गए?”

“यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ कैसे लाया गया। मैं यह इतनी बातें वेद, गीता, उपनिषद, राजनीति, साहित्य के बारे में आप से कर रहा हूँ। आप ही बताइए बहन, क्या मैं पागल हूँ?”

“क्या आप को कोई ऐसी मानसिक चोट पहुँची है जिसका आप पर प्रभाव पड़ा है ?”

“नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैंने आज तक किसी को सताया तक नहीं है। मैं जब आप के पिताजी से पूछता हूँ तो कह देते हैं कि तुम पागल हो। मैं पागल हूँ—बड़े अचरज की बात है !”

“फिर भी कुछ बात तो अवश्य है जिससे आपको ऐसा माना गया।”

“हाँ, एक बात हो सकती है। मुझे यह विश्वास है कि मेरा शरीर काँच का है। (कलाई पर अंगुलियाँ ठोककर) यह देखो टन्नन् टन्नन् टन्नन् काँच ही तो है न ! जरा-सा धक्का लगते ही टूट-फूट जाएगा !”

“तो क्या शरीर काँच का है ?”

“माफ करें बहनजी, आपने भारतीय आध्यात्मिक विचार-धारा का अध्ययन नहीं किया, मालूम होता है ! कबीरदासने भी इसे काँच की शीशी बताया है ! क्या यह सच नहीं है ! शरीर रूपी काँच की शीशी छिनक (क्षणेक) में फूट जाएगी !”

सुपरिण्टेंडेंट की लड़की समझ गई कि इस युवक का पागलपन क्या है। घर लौटने पर उसने पिता से कहा कि वह युवक उसके सपुर्द कर दिया जाय।

पिता भी नवीन विचार के थे। सोचा कि दोनों शिक्षित, सुंदर, स्वस्थ हैं। एक-दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़कर यदि पागलपन दूर हो जाय तो क्या आपत्ति है। दोनों का वैवाहिक सम्बंध करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। एक धर्म, जाति के भी हैं। अनुमति दे दी गई।

लेकिन संध्या को एक ऐसी दुर्घटना हुई कि बेचारे का हार्ट फेल हो गया। वार्डर ने आग्रहपूर्वक भीतर चलने को कहा। वह कहता

संस्कारों का पागलपन

४५

था, मैं पागल नहीं हूँ। धक्का दिया गया जिससे वह गिर गया और उसके विश्वास के अनुसार शरीर रूपी कांच फूट गया ! उसके प्राण-पखेरू उड़ गए।

यह विचारों के पागलपन का एक उदाहरण है।

कुछ लोग होते हैं, जो अपने आप से बातें करते हैं, बड़बड़ाते या गुनगुनाते रहते हैं; किसी मूर्ति के आगे स्तुति-प्रार्थना करते रहते हैं, सिर झुकाते हैं, कई औंधे लटक जाते हैं, कई प्रकार के आसन करते रहते हैं। शरीर पर भभूत रमानेवाले, कानों को फाड़नेवाले भिन्न-भिन्न वेश धारण करनेवाले, मुण्डन करवानेवाले, जटा बढ़ानेवाले, फलाहारी, गांजा-चिलम का दम लगानेवाले, भांग पीनेवाले भी कम नहीं हैं। लोग मानते हैं कि ये ज्ञानियों के, साधुओं के और भक्तों के साधन हैं, जो अपनी धुन में रहते हैं। लेकिन मैं तो इसे धार्मिक पागलपन ही कहता हूँ।

किसी शिशु को देखकर उसके साथ विकृत चंचलाएं करना, मुंह बनाना, गुदगुदी करना, तोतली भाषा में पुकारना, किसी स्त्री को देखकर लुचैष्टाएं करना, अपनी स्त्री से एकान्त में बेतुकी बातें करना भी पागलपन ही है। इसे मैं प्यार का पागलपन कहता हूँ। इसी तरह कांच में मुंह देखना, मुंह बनाना, जीभ निकालना, आँखें मटकाना, मित्रों के बीच हाहा-हूहू कर के हंसना, सुना-अनसुना करना, किसी को हंसी-विनोद में बेवकूफ बनाना, मजाक करना भी पागलपन है। इस से जब सन्तोष नहीं होता तो शराब पीना, शराबी-सी नकूल करना, झुमना भी किया जाता है। इसे मैं गुदगुदा पागलपन कहता हूँ। इस प्यार और मजाक को पागलपन नहीं कहा जाता, बल्कि एक प्रकार की 'अच्छाई' समझा जाता है।

मेरे यहाँ किसी समय एक तिलकधारी ब्राह्मण आए। थोड़ी ही देर में एक मुसलमान भाई आए और जाजमपर बैठ गए। अब क्या था,

ब्राह्मण देवता का रोम-रोम अपवित्र हो उठा। अपने लड़के को नदी पर धोती लाने को कहा। वे नदी पर गए और वस्त्रों समेत कूद पड़े। ऐसी ही एक घटना और है।

एक आदमी अपनी गाड़ी में पानी के दो पीपे भरकर ले जा रहा था। दुर्भाग्य की बात कि ब्रैल की पूंछ हिली और एक हरिजन का स्पर्श कर गई। अब क्या पानी पवित्र रह सकता था? पानी फेंककर बेचारा घर लौट गया।

एक लड़का किसी हिन्दू हॉटेल में चाय पीने गया। चाय पी। लेकिन पास ही खड़े किसी ने एक व्यक्ति से कहा यह तो मुसलमान लड़का है। अब क्या था। जोर चला कप-बशीपर। बेचारी इतनी जोर से फेंकी गई कि चूर चूर हो गई।

इसे मैं क्रोध का पागलपन कहता हूँ। कर्म कर कोऊ और ही, फल पावे कोऊ और—की सचाई ऊपर की घटनाओं में देखी जा सकती है। यानी कुम्हार कुम्हारी से न जीतने पर गंध के कान ऐंठता है।

कस्तूरबा स्मारक पंड के कार्य निमित्त हम कुछ लोग एक सेठ के यहाँ पहुँचे। किसी को खांसी आगई। खांसी आई तो रुके कैसे? लेकिन सेठजी आगबबूला हो गए। बोले, यह कोई दवाखाना है जो खां-खां मचा दी। उसे निकाल कर ही सेठजी ने दम लिया। सेठजी बोले 'पागल कहीं का'। पर हमें सेठजी के 'पागलपन' पर हँसी आ रही थी।

एक भले घर की स्त्रीने बुखार के कारण अपने नौकर से पैर दबाए। इतने में पति देवता आ पहुँचे। अब क्या था। परम्परा का संदेह प्रकट रूपमें उबल पड़ा। बड़बड़ाने लगे, पर-पुरुष का स्पर्श! बेचारी गालियाँ सुनकर भी कुछ न बोली। ऐसे ही अनेक प्रकार के संदेह जीवन में प्रवेश कर जाते हैं जिनसे बहुत बार हानियाँ उठानी पड़ती हैं।

संस्कारों का पागलपन

४७

सच तो यह है कि जिसे हम बहुत बार पागलपन कह दिया करते हैं, वह मनुष्य के भीतर छिपे रहने वाले दोष होते हैं। ये दोष ज्ञान और अज्ञान दोनों से पैदा होते हैं। ज्ञान से पैदा होने वाले दोष मजाक बन जाते हैं और अज्ञान के कटु या गंभीर। लेकिन धीरे धीरे आदमी की वे आदतें बन जाती हैं। ऐसा होने में संस्कार, लापरवाही शिक्षा-दीक्षा, प्रवृत्ति और घटना का विशेष हाथ रहता है !

अरे भाई, पागलों की इस दुनिया में पागल न दीखें तो ही अचरज। मैं पागल हूँ, आप पागल हैं, सारी दुनिया पागल है। पागलपन में ही सबका जन्म है, जीवन है और है मरण। खुशी इस बात की है कि यहां कोई निर्दोष नहीं है और यों हम सब चोर चोर मौसेरे भाई की तरह मजे में खाते-पीते, लड़ते-झगड़ते, और पांव पसारकर फिर पागलखाने की शरण में कूच कर जाते हैं। यहां संसार से चिपटने वाला भी पागल है, मुक्ति का राही भी उसी विशेषण से सम्बोधित होता है। जो हो, यह पागलपन अनादि तो है ही, अनन्त भले ही न हो।

: ६ :

सार्वजनिक कार्य और धन

रिषभदास रांका

एक आशंका

‘संस्थाएँ अपरिग्रही बनें’ की जो विचारधारा प्रकट की जा रही है उस के सम्बन्ध में कुछ विचारकों और कार्यकर्त्ताओं का खयाल है कि यह विचारधारा सामाजिक कार्यों के लिए बाधक हो सकती है। सम्भव है कि बहुत कुछ हानि भी उठानी पड़े। उनका कहना है कि “एक तो दान देनेवालों की पहल ही समाज में कमी है और जो देनेवाले हैं वे भी आवश्यक और पर्याप्त तो नहीं ही देते। समाज के कई आवश्यक कार्य ऐसे हैं जो धन के अभाव में रुके पड़े हैं या बराबर नहीं चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर दान देनेवालों को संस्थाओं के अपरिग्रहीकरण की बात सुनाई गई तो सम्भव है कि उद्देश्य का दुरुपयोग कर वे दान देना ही बन्द कर दें।”

यह बात समाज के एक अनुभवी नेताने हमारे सामने रखी है। यह एक विचारणीय विषय है और इसपर विचार होना आवश्यक है। गुरुजनों से विचार-विमर्श करनेपर जिस निर्णयपर हम पहुँचे हैं उसे विचार के लिए समाज के सन्मुख उपस्थित कर देना आवश्यक प्रतीत होता है।

दान लेने के तरीके

इस से तो शायद सभी सहमत होंगे कि आजकल फण्ड एकत्रित करने या चन्दा मांगने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। चन्दा मांगनेवाला किसी एक कार्य को अपना ध्येय मानता है और उसकी आवश्यकता इन

सार्वजनिक कार्य और धन

४९

शब्दों में प्रकट करता है मानों उसके बिना समाज की गाड़ी चल नहीं सकती, दूसरे कार्य तो गौण हैं। हम यह नहीं कहते कि सभी कार्य अनुपयोगी होते हैं, किन्तु देखा यह गया है कि अधिकांश कार्य कार्यकर्त्ताओं के बुद्धि-विलास को ही प्रकट करते हैं। वे कार्य उनके दिमाग की उपज होते हैं। हम यह नहीं कहना चाहते कि जिन कार्यों का समाज के लिए उपयोग है उनके लिए धन दिया ही न जाय। हमारा कहना तो यह है कि दान देने और धन एकत्रित करने के जो तरीके प्रयुक्त किए जा रहे हैं उन में सुधार होना चाहिए। देनेवालों और लेनेवालों को आपस में विवेक से काम लेना चाहिए। यश और डर की भावना से दिया हुआ दान, और लोभ और छल से लिया जानेवाला दान विवेक और सौजन्य-शून्य होने से किसी तरह फलदायक नहीं होता। इस तरह दोनों ओर से जब मानसिक और भौतिक स्वार्थ का आश्रय लेकर समाज के शुभ कार्य करने का आश्वासन दिया जाता है तब ऐसा लगता है कि इसके मूल में धोखा देने और नाम कमाने की लालसा और स्वार्थ समाया हुआ है। बहुत-से कार्यकर्त्ता जिन धनवानों से धन एकत्र करते हैं उनके प्रति कोई आदर-भाव नहीं रखते। धन हाथ में आने के बाद वे धनिकों के प्रति एक प्रकार का तिरस्कार ही व्यक्त करते हैं। वे ऐसा भी कहते पाए जाते हैं कि “अच्छा बुद्धू बनाया सेठ को, थोड़ीसी खुशामद कर दी, गुणगान कर दिया, सभा-मंचपर आदर-सन्मान कर दिया, एकाध मानपत्र दे दिया और चित्र छाप दिया तो इस से अपना बिगड़ क्या गया। उस से तो रुपए ऍठ ही लिए।” इतना कहने पर भी वह कार्यकर्त्ता या कार्यकर्त्ताओं के समूह वाली संस्था यह मानने को तैयार नहीं होती कि उसका उद्देश्य दुष्ट है या वह समाज का अच्छा कार्य नहीं करना चाहती। अपनी सफाई तो यह कहकर दे दी जाती है कि क्या किया जाय, सेठजी की गांठ से पैसा छूटता ही नहीं, इसलिए किसी तरह निकालना तो आवश्यक था ही।

दान देने के तरीके

दूसरी ओर दान दे चुकने के बाद सेठजी भी कुछ ऐसा-सा ही कहते पाए जाते हैं कि “क्या करें भाई, जब कोई गले ही पड़ जाता है तो कुछ दिए बिना पिण्ड ही नहीं छूटता। अगर नहीं देते हैं तो चारों तरफ बदनामी का ढिंढोरा पीटते फिरते हैं। इसलिए कुछ न कुछ देना ही पड़ता है।” फिर कुछ यह भी कहते पाए जाते हैं कि “भाई, अपने बाप-दादों की स्मृति में अपने समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ न कुछ करना कर्तव्य हो जाता है। अपने को तो व्यापार-धंधे से ही फुरसत नहीं मिलती, इसलिए बेचारे जो कार्यकर्त्ता कुछ काम करते हैं उन्हें मदद देनी ही चाहिए। और इस में अपना नुकसान ही क्या है। नेतागिरी मिलती है, समाज में नाम होता है, पदवियाँ मिलती हैं, अखबारों में चित्र छपते हैं। क्या यह कम महत्त्व की बात है? थोड़ासा देकर इस नाम और कीर्ति को कौन छोड़ेगा?”

मूल बात दूर है

यह है हमारे समाज की हालत। समाज में भलाई का काम, सेवा का काम कितना होता है, कहाँ होता है और क्यों होता है इसकी चिन्ता किसी को नहीं। संस्था और कार्यकर्त्ता इसलिए खुश होते हैं कि उन्हें धन मिल जाता है और धनवान इसलिए फूलकर कुप्पा होता है कि वह अपने नाम को चारों ओर बिखरा हुआ देखता है। लेकिन यह दुख की बात है। इस तरह समाज-सेवा हजारों वर्षों में भी असम्भव है।

कर्तव्य

दान समझ-बूझ कर देना चाहिये और यह समझकर देना चाहिए कि धन यों भी स्थायी नहीं रहनेवाला है। जो कुछ पास में है वह समाज के लिए है, समाज का है और समाज से प्राप्त किया गया है।

सार्वजनिक कार्य और धन

५१

प्रत्येक व्यक्ति पर समाज के अनन्त उपकार हैं। उन उपकारों का ऋण चुकाने के लिए इस धन का उपयोग होना ही चाहिए। लेनेवालों को भी छल का आश्रय नहीं लेना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि वे समाज की सेवा करने जा रहे हैं। असत्य और छल से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ नहीं सकती। मुँह पर दिखावटी स्तुति, खुशामद या आदर व्यक्त कर धन अवश्य प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन तभी तक जबतक धनिक बे-समझ अथवा नाम-प्रिय रहते हैं। यह समझना व्यर्थ है कि सामनेवाला हमारे मनोभावों को नहीं सोच पाता। अगर दान-दाताओं को 'बुद्धू' समझा जाता है तो लेनेवालों को भी 'टुकड़-खोर' या 'भिखारी' से कम नहीं माना जाता। इस दोनों ओर की समझ में—और यह समझ स्वार्थ मूलक होती है—प्रायः ऊँट और गधे की आपसी-प्रशंसा ही दिखाई देती है। इसलिए कार्यकर्त्ताओं का कर्तव्य है कि वे आवश्यक कार्यों के लिए ही दान ग्रहण करें और जो कुछ ग्रहण करें उसे आदर-पूर्वक ग्रहण करें। और धनिकों का कर्तव्य है कि वे समझ-बूझकर समर्पण की भावना से उपयुक्त कार्यों के लिए योग्य कार्यकर्त्ताओं को ही आत्म-भाव से दें। न धनिकों को बुद्धू बनना चाहिए न कार्यकर्त्ताओं को भिखारी या टुकड़-खोर।

आवश्यक कार्य

अब प्रश्न यह उठता है कि आवश्यक कार्य कौनसे हो सकते हैं ? गम्भीरता पूर्वक विचार करने के पश्चात् ऐसा लगा कि प्रत्येक सुप्रवृत्ति या भलाई का काम अनावश्यक तो नहीं ही है। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि व्यक्ति या समूह की रुचि, शक्ति, बुद्धि और क्षेत्र की न्यूनाधिकता के कारण कार्यों में भिन्नता दिखाई दे। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन में धन की आवश्यकता नहीं होती, परस्पर सहयोग और सहानुभूति से ही ऐसे कार्य सम्पन्न किए जा सकते हैं। हाँ, कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो बिना धन के पूर्ण नहीं किए जा सकते। यह कार्य बहुत सीमित हैं। हमें लगता है कि इन्हीं कार्यों में धन की आवश्यकता होती है :

१. शिक्षण सम्बन्धी संस्थाएँ; जैसे छात्रालय, विद्यालय, छात्रवृत्ति-प्रदात्री संस्थाएँ, और महाविद्यालय आदि ।

२. औषधालय और आरोग्य-भवन आदि ।

३. आकस्मिक संकटकालीन सहायता प्रदान करनेवाली प्रवृत्तियाँ जैसे बाढ़, भूकम्प, दुर्घटनाएँ आदि ।

४. पुस्तकालय, वाचनालय आदि ।

५. यात्रियों और प्रवासियों की सुविधा के लिए सड़कोंपर बनाई जानेवाली धर्मशालाएँ, कुएँ आदि ।

६. अथवा ऐसे ही वे कार्य जिनसे समाज को सीधी सहायता पहुँचती हो ।

यह काम ऐसे हैं कि बिना धन के हो नहीं सकते । लेकिन स्थान, आवश्यकता, समय आदि का खयाल रखे बिना केवल नाम और यश के लिए कहीं भी कुछ कर देने से कोई लाभ नहीं । इन पवित्र कामों के लिए भी कुछ लोग सद्भावनापूर्वक निरपेक्ष दृष्टि से धन देना पसन्द नहीं करते । इन चीजों में भी वे नाम और यश का रोड़ा अटका देते हैं । लेकिन हमारा खयाल है कि ऐसे कामों के लिए किसी तरह की अपेक्षा या आसक्ति रखे बिना ही धन दिया जाना चाहिए और कार्यकर्त्ताओं को उसकी चिन्ता करने या चंदा एकत्र करने में अपनी शक्ति खर्च करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ।

बिना धन के कार्य

साम्प्रदायिक झगड़े, सुकहमे, अधिवेशनों की शान और दिस्वादे, पत्रव्यवहार, समाचार-पत्रों के प्रकाशन, कार्यालय के खर्च और संस्कृति के नाम पर लोगों की भावनाएँ उभाड़कर तार, शिष्ट मण्डल आदि में होनेवाला

सार्वजनिक कार्य और धन

५३

खर्च इन और ऐसे सब कार्यों के लिए हम समझते हैं कि समाज से मांगने या चंदा वसूल करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इन कार्यों की ओट में मनुष्य अधिकतर अपनी प्रसिद्धि का ध्यान रखता है और नेता बनने की लालसा ही रहती है। हमारा निश्चित मत है कि ये काम सामाजिक जीवन के सुख-दुखों से सम्बन्धित नहीं होते और इनकी आवश्यकता वे ही बताते हैं जो जीवन में या तो खा-पीकर सुखी होते हैं या जिनके पास कोई काम नहीं होता। ऐसे लोग बुद्धि के घोड़े पर बैठ कर कल्पना-लोक की सैर किया करते हैं। आदमी जमीन पर चलनेवाला प्राणी है। श्रम उसका जीवन-धर्म है। इसलिए पृथ्वी में से ही श्रमपूर्वक उसे जीवन-तत्त्व प्राप्त करना चाहिए, यही उसका सच्चा कार्य हो सकता है। हम समझते हैं सच्चे कार्य के लिए धन की कमी किसी को नहीं पड़ती। श्रम स्वयं धन है।

ध्रुवकोष और व्याज

हमें एक बात की ओर और निर्देश करना है। वह यह कि ध्रुव-कोषों के आधार पर कार्य करना हितकर नहीं होता। ध्रुव-कोष तथा बड़ी-बड़ी रकमें इकट्ठा करने के पीछे स्वार्थ, अहंकार तथा बड़प्पन रहता है और कुछ समय बीतने के बाद झगड़े निर्माण हो जाते हैं जिससे समाज के कार्य को हानि पहुँचती है। पहले धन पास में नहीं होता तो उसके लिए पुकार मचाई जाती है और एकत्रित हो जाने के पश्चात् यह चिन्ता खड़ी हो जाती है कि उसे कहाँ जमा किया जाय। अनेकों बार ऐसा हुआ है कि जिसके यहाँ धन जमा हुआ वह उसीका हो गया या नहीं देने के अनेक बहाने बनाए गए। धन जमा करने के पीछे कार्यकर्त्ताओं की व्याज से काम चलाने की मंशा होती है। वे यह सोच लेते हैं कि संस्था को सुव्यवस्थित और स्थायी बनाने के लिए धन की चिन्ता से मुक्त रहने की आवश्यकता है। लेकिन यह विचार-धारा बहुत गलत है, हानिकर है। सब से बड़ा

नुकसान यह होता है कि संस्था की सजीवता नष्ट हो जाती है। वह निर्जीव मशीन बन जाती है और कार्यकर्त्ताओं का पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है। उनमें वह स्वाभिमान, वह कर्तव्य-शीलता, संघर्षों का मुकाबला करने का वह साहस नहीं रहता जो नित चुगा चुगने वाले पक्षियों में रहता है, उस साधु में रहता है जो रोज अपना दाना-पानी जुटाता है, उस मजदूर में रहता है जो रोज पसीना टपकाता है, उस किसान में रहता है जो रोज हल चलाता है। व्याज धन का मित्र भले ही हो, जीवन का शत्रु है। इसलिए व्याज की अपेक्षा श्रम पर कार्य करने की निष्ठा हम में होनी चाहिए।

अधिक धन अनावश्यक है

लेकिन धन के बिना अगर काम नहीं ही चलता है तो वह इतना ही प्राप्त करना चाहिए जितना किसी कार्य के लिए आवश्यक हो। एकवार की अपेक्षा कोई दो बार का भोजन कर ले तो वह पहले के कई दिनों का भोजन भी दूसरे दिन खो देगा। और भविष्य में भी शायद दो-चार दिन भूखा रहना पड़े। यही हाल संस्थाओं के धन का भी है। जो कार्य आवश्यक रूप में हमारे सामने हो और समाज उसके लिए तैयार हो तो ही धन एकत्र करना चाहिए। समाज की चिंता अपने सिर पर लेकर निराश और उद्विग्न होना व्यर्थ है।

सारांश

यह सब लिखने का सारांश पाँच पंक्तियों में आ सकता है :

१. जो कार्य धन के बिना नहीं चलते उनके लिये उतना ही धन लिया जाय जो उस कार्य में खर्च कर दिया जा सके।

२. ध्रुव-कोष जमा कर के व्याज से संस्था चलाने का मोह और स्वार्थ छोड़ दिया जाय।

सार्वजनिक कार्य और धन

५५

३. जिन से धन लिया जाय उनके प्रति आदर और सद्भाव रखा जाय । किसी की अनुचित प्रशंसा न की जाय ।

४. धन लेनेवाले सचाई और ईमानदारी से ही बिना किसी स्वार्थ और छल के धन प्राप्त करने का प्रयत्न करें । उनका कार्य ऐसा हो कि वे अपना विश्वास जनता में बना रख सकें ।

५. आवश्यक कार्य वे ही हो सकते हैं जिनसे सामान्य रूप से मनुष्य-जीवन को सुखी बनाने में सहायता मिल सकती हो ।

आशा है, इस विषयपर समाज का विचारक-वर्ग, धनिक-वर्ग और कार्यकर्ता-वर्ग गम्भीरता से विचार करने की कृपा करेगा । धर्म और संस्कृति की रक्षा के नाम पर जो नारे आज लगाए जाते हैं उनका जीवन से कितना सम्बन्ध है, और वे कितने उपयोगी हो सकते हैं, इसपर भी विचार किया जाय ।

: ७ :

निष्क्रिय वैराग्य

जमनालाल जैन

वैराग्य और ममता

भारतीय धर्मों में वैराग्य को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है। वैराग्य का अर्थ राग-विहीनता किया जाता है। राग को ममता का पर्यायवाची कहा गया है। धर्माचार्यों ने कहा है कि ममता आदमी को गिराती और फँसाती है। ममता में फँसा और उलझा प्राणी समता की व्यापकता को ग्रहण नहीं कर पाता। जो समता को ग्रहण नहीं कर पाता, विषमता उसका गला दबाए रहती है। कहा जाता है कि ममता और विषमता का जोड़ा है। दोनों के नष्ट होनेपर ही नौका समता के किनारे लग सकती है।

प्रेम

पर, प्रेम भी एक शब्द है। उसके महत्त्व को भी पारस्परिक व्यवहार में स्वीकार किया गया है। ममता प्रेम के अतिरिक्त क्या है जो सब के प्रति होनी चाहिए? अगर पारस्परिक प्रेम नष्ट हो जाय तो एक तो द्वेष प्रत्यक्ष होगा, या हो सकता है कि मनुष्य जीवित भी न रह सके।

शिशु की ममता

एक नवजात शिशु है। वह क्षण-प्रति-क्षण बढ़ता है। माता-पिता और पास-पड़ोसियों को अपनी स्वाभाविक चेष्टाओं द्वारा आनन्द प्रदान करता है। उसकी क्रियाओं को देख सब मुग्ध हो जाते हैं। उसे गोदी में लिया जाता है, उसे पुचकारा जाता है, उसकी बलैयाँ ली जाती हैं। यह सब ममता के बिना नहीं हो पाता। ममता अगर नहीं होगी तो प्रेम को

निष्क्रिय वैराग्य

५७

सार्थक करनेवाली कोई भावना नहीं है जो हमें बच्चों की ओर आकर्षित कर सके। यह ममता अस्वाभाविक नहीं है। बच्चा किलकारता है तो हम भी उसके साथ हो लेते हैं। वह रोने लगता है तो उसे विविध आकर्षणों द्वारा चुप करने और खुश करने के प्रयत्न किए जाते हैं। यह अगर नहीं किया जाता है तो कहना चाहिए और कहा ही जाता है कि वह आदमी रूखा या कठोर है जो बच्चे के प्रति भी स्नेह या ममता प्रकट नहीं करता। सीधे शब्दों में वह हृदय-हीन समझा जाता है।

ममता-मय साधु

महाव्रती साधु ऐसी स्वाभाविक ममता से दूर रहकर साधना नहीं कर सकता। उसे भी समाज में आकर या उसमें रहकर उपदेश करना ही होता है। जब कोई श्रावक किसी नन्हें से बालक को अपनी गोदी में लेकर मुनि के समीप पहुँचता है और विनय पूर्वक कहता है : “महाराज ! यह अपना ही बालक है” तब उसके सुन्दर मुखड़े पर महाराज की दृष्टि थम जाती है और वे उस पर प्रसन्न हो आशीर्वाद के रूप में हाथ या पीछी फेर देते हैं। श्रावक को इससे सन्तोष होता है। वह समझने लगता है कि अब मेरे बच्चे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जिसे साधु का आशीर्वाद मिल गया, बुराइयाँ उसका पीछा नहीं कर सकतीं। मुझे भी वचपन में एक साधु (ऐलकजी) ने पीछी और आसन दिया था। उमर मेरी कोई पाँच साल की थी। उस समय मेरा धर्म तो ग्रहण करने का ही था। उसके उपयोग और महत्त्व को समझने की जरूरत नहीं थी। दो-चार साल तो ये चीजें रखी रहीं, लेकिन पिताजी ने घर बदला तो वे खो गईं। मेरे लिए उनका रखा रहना या खो जाना एक-सा ही था। पर माँ को ऐसा लगा कि हमारा कुछ अनिष्ट होनेवाला है।

आवश्यक ममता

तो, मैं कह रहा था कि ममता साधु के लिए भी आवश्यक है। उसे कोई कृपा दृष्टि कहेँ, आशीर्वाद कहेँ, प्रेम कहेँ या और कुछ कहेँ। जो

साधु ऐसा नहीं करता उसका या किसी साधु-समूह का सामाजिक आदर कम हुए बिना न रहेगा। इस से मेरा मतलब यह है कि उनके वैराग्य यानी शुष्क असामाजिकता पर जनता की श्रद्धा तो रहेगी ही, लेकिन भक्ति और निकटता का सम्बन्ध टूटता जाएगा।

अपेक्षित आशीर्वाद

देखा गया है कि बहुत-से स्त्री और पुरुष देव, शास्त्र और गुरु की भक्ति और पूजा इसलिए करते हैं कि वे समझते हैं कि ऐसा करने से उन्हें धन की प्राप्ति होगी, पुण्य का संचय होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी, सन्तान का लाभ होगा आदि। इस लाभ और प्राप्ति की न्यूनाधिकता पर ही भक्ति की न्यूनाधिकता अवलम्बित रहती है। यह अपेक्षा सैद्धान्तिक दृष्टि से चाहे कैसी ही अनुचित हो, पर जो विरागी है उसे इन अपेक्षा करनेवालों को आशास्पद या लाभदायक आशीर्वाद देना ही पड़ता है।

साधुत्व और समस्याएँ

व्यक्ति है कि समाज है और जहाँ समाज है वहाँ संघर्ष और संगठन भी है। कुछ धार्मिक, कुछ आर्थिक और कुछ सामाजिक यों कुछ-न-कुछ समस्याएँ समाज और जीवन में उठती ही रहती हैं और उनका निर्णय पक्षपात, अज्ञान, स्वार्थ और मोह-द्वेष के कारण सही-सही नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में त्वभावतः समस्याओं को सुलझाने के लिए समाज मुनि की ओर आकर्षित होती है। पर, उन समस्याओं और संघर्षों का निपटारा मुनि शायद ही करते हैं। वे कहते हैं : “इन सामाजिक झगड़ों या बखेड़ों से हमारा क्या सम्बन्ध ? हमें तो अपना आत्म-कल्याण करना है। अपने झगड़े तुम आप जानो।” कुछ इस उत्तर को वैराग्य की पराकाष्ठा समझ उपेक्षा कर देते हैं और कुछ टीका-टिप्पणी भी करते हैं। इस तरह मालूम होता है कि समाज में साधु-वृत्ति के विषय में दो विचार-

निष्क्रिय वैराग्य

५९

घाराएँ हैं : एक, उन्हें समाज से विलकुल भिन्न समझनेवाले लोग हैं और दूसरे उनपर समाज-निर्माण का उत्तरदायित्व लादते हैं। अपने अपने दृष्टिकोण से दोनों सही हैं, ऐसा मैं मान लेता हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि कोई मुझे बताए कि अगर धर्म विश्व-प्रेम सिखाता है और समभाव बताता है तो समाज से अलग रहने में, उसकी समस्याओं को न छूने में कौनसी साधना होती है ? और जो समस्याओं को समझ नहीं पाता, जो निर्णय देने में असमर्थ है, उसपर केवल मुनित्व के कारण ही समाज-निर्माण का उत्तरदायित्व लाद देना कहाँ तक उचित है ?

सांसारिकता का त्याग

कहते हैं कि जो वीतरागी हैं वे संसार से परे रहते हैं यानी कि वे संसार से सम्बन्ध तोड़ लेते हैं। तीन लोक की व्याख्या करते हुए दर्शन कहता है कि मुक्त जीव भी लोक के बाहर अलोक में नहीं जा सकता। अब संसार छोड़ देने का अर्थ सांसारिकता का त्याग मानना चाहिए। यह सांसारिकता क्या है कि जो आदमी को अधार्मिकता में फँसाती है ? धर्म ने सांसारिकता का तिरस्कार किया है। यानी उसकी दृष्टि में जो असांसारिक है वह धर्मात्मा कहलाता है। पर सांसारिकता क्या इतनी बुरी है कि उसका त्याग ही किया जाना चाहिए ? फिर जीवों के पारस्परिक उपग्रह का क्या अर्थ रह जाएगा ?

संसार की स्वीकृति

महाव्रती के संसार छोड़ देने को मान लेना चाहिए। पर, जो हवा इधर-उधर बहती है वह संसार की ही है। जो भोजन ग्रहण किया जाता है वह इसी संसार में पैदा होता और पकाया जाता है। आत्मा के लिए 'निद्रा' रोग हो सकता है, पर शरीर के लिए 'अनिद्रा' भी रोग ही है। यह निद्रा और अनिद्रा का दर्शन भी इसी जगत में होता है।

इन्द्रियों से जो देखा, सुना और बोला जाता है वह भी लोक-वाह्य नहीं है । पारस्परिक सम्बन्धों को अगर छोड़ भी दिया जाय तो सांसारिक स्वीकृति इस प्राकृतिकता में आ जाती है । सच्चे अर्थों में तो इस प्राकृतिकता का त्याग होने पर ही सांसारिकता का त्याग माना जाना चाहिए । पर इस प्राकृतिकता का त्याग हो नहीं सकता । और जो त्याग नहीं कर सकता वह सदेह है और सदेह वह है जो सामाजिक है । सामाजिकता से अलग होकर जो धर्म आत्म-कल्याण की दुहाई देता है वह अभी कल्पना में है । उसे धरती पर उतरना चाहिए ।

विधि और नियमों का अनुराग

पढ़ने में आया कि वैराग्य समता का प्रतीक है । यानी किसी के प्रति भी विरागी में आग्रह, अनुराग या उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । पर, अचरज है कि वीतरागी अपने नियमों के प्रति, आचरण की विधियों के प्रति अत्यन्त आग्रही दिखाई पड़ते हैं । वे यह नहीं सोचना चाहते कि उन नियमों के कारण उनकी व्यवस्था करने में किसको कितनी सुविधा-असुविधा हो सकती है ! मैं साहसपूर्वक कह सकूंगा कि अपनी विधियों का निरन्तर ध्यान रखना भी वीतरागता का अनुराग है, या कि नियमों का अनुराग है । यह मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि वीतरागी धार्मिक होता है । जो धार्मिक होता है वह किसी को कष्ट नहीं दे सकता । जैन मुनियों के लिए नियम है कि वे उनके लिए बनाए गए भोजनादि को ग्रहण न करें । पर आज के श्रावक की सब से बड़ी मुसीबत यही है । जो इसे मुसीबत नहीं समझते वे शायद कष्ट-सहन को ही धर्म समझते हैं और युग की विचार-धारा से अपरिचित, भोले हैं । ऐसे लोग ढोंगी तो नहीं होते, पर सामयिक विवेक की वे जरूरत नहीं समझते । सन्त नामदेव ने कहा है कि योगी का प्रेमी रहना उतना ही कठिन है जितना अग्नि का शीतल या सिंह का अक्रूर रहना ! समझा यह गया कि जो साधु

निष्क्रिय वैराग्य

६१

जितना निष्ठुर, रूक्ष और क्रोधी होता है वह उतना ही साधक और मोह-रहित रहता है। मोह से दूर रहना साधु के लिए आवश्यक है, पर इस के लिए प्रेम के त्याग की आवश्यकता क्यों हुई, यह समझ में नहीं आता। संसार के प्रति प्रेमी रहकर भी तो निर्मोही रहा जा सकता है। मोह-रहित बनने के लिए यदि प्रेम का ही त्याग किया जाता है तो इस का अर्थ तो यही हो सकता है कि यह एक प्रकार की दुर्बलता है—इस में पलायन वृत्ति स्पष्ट है। यह ऐसी ही बात है कि जो आदमी किसी रोगी या अपराधी या पीड़ित के प्रति सहानुभूति नहीं रख पाता वह मन में उठने वाली घृणा के वेग से बचने के लिए उस से अलग रहना चाहता है।

धन और वैराग्य

धर्म का तो धन से आन्तरिक सम्बन्ध है ही, वैराग्य का भी प्रतीत होता है। अन्तर इतना ही है कि धर्म का धन बढ़ता जाता है और वैराग्य का धन बोझ बढ़ाता है। धर्म का धन आदमी को साहूकार बनाता है और वैराग्य ऋण में से पैदा होता है। आदमी कमाने में असमर्थ हो, परिवार का वातावरण अनुकूल न हो, सिरपर कर्ज का भार बढ़ गया हो, या कोई बड़ा भारी सामाजिक अपराध हो गया हो अथवा किसी आत्मा की मृत्यु हो गई हो तो वैराग्य लेने की सूझती है। क्योंकि वह जानता है कि उसे वैराग्य लेने के बाद कमाना नहीं पड़ेगा, परिवार की चिन्ता से वह मुक्त रहेगा, सामाजिक दण्ड से भी छूट जाएगा। इतना ही नहीं, उसे आदर और सन्मान भी मिलेगा। उसकी रक्षा के लिए जनता को अपनी पूजा के लिए बाध्य भी किया जाता है। कई जगह तो इसके लिए विशेष प्रबंध भी रहता है। मुनि अपरिग्रह के महाव्रती या सर्वोपासी प्रतिनिधि होते हैं और वे अपने लिए बनाया गया भोजन आदि भी ग्रहण नहीं करते। किंतु देखा गया है कि उन साधुओं के साथ कुछ धर्म-भक्त सेठों की ओर से सामान लदी गाड़ियाँ भी चलती हैं। साथ के श्रद्धालु या वेतन-भोगी गृहस्थ साधुजी

की चर्या का पूरा प्रबन्ध करते हैं। वे साधु भी जहाँ जाते हैं वहाँ के सम्पन्न लोगों की कृपा के आकांक्षी रहते हैं। यद्यपि साधुओं का आहार सात्विक, सादा और अल्प ही होता है, परंतु उसके लिए आयोजन और ठाठ किसी पूंजीवादी भोज से कम नहीं होता। और यह आहार उन्हींके यहाँ या उसी जाति में ग्रहण किया जाता है जो सम्पन्नता के कारण ऊँची कहलाती है। यह अगर धन की महिमा नहीं है तो अपरिग्रह का दर्शन भी इसमें शायद ही होता है।

अनासक्ति और वीतरागता

गीता का एक शब्द है 'अनासक्ति'। अर्थात् कर्म करते हुए भी जो उसमें संकुचित स्वार्थ नहीं देखता और लालच नहीं रखता वह अनासक्त माना जाता है। अच्छा काम करो और सब के लिए करो और उस में भी अनासक्त रहो—यह अनासक्ति का अर्थ है। खाने को भोजन सुस्वादु मिले या चाहे जैसा, पहनने को वस्त्र चाहे जैसा मिले या न मिले, सब काम में जो सहज रूप रहता है और सुख-दुख नहीं मानता उसे ही वास्तव में अनासक्त कहा जाना चाहिए। 'वीतराग' शब्द का भी इसी अर्थ में उपयोग करना चाहिए। जो वैराग्य कर्म के क्षेत्र में निष्क्रियता फैलाता है उसे धर्म तो नहीं, दम ही कहना चाहिए। जगत से दूर रहकर आत्म-साधना की जाती है और उसका महत्त्व है, लेकिन यह एकान्त-साधना अगर जगत की सेवा करने से विमुख करती है या सम्बन्ध तोड़ती है तो वह स्वार्थ ही होगा। एकान्त-साधना थकावट के समय के विश्राम जैसी होनी चाहिए। क्योंकि यह विश्राम अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है और यह आवश्यक भी है। वीतरागताका अर्थ तो रागद्वेष-विहीनता ही है। लेकिन आज तो वह कर्म-विहीनता तक बढ़ गया है। किसी युग में यह अर्थ उपयुक्त रहा हो, पर सदा परिस्थिति एक-सी तो रहती नहीं।

निरूपयोगी साधना

कुछ कहेंगे और कहते ही हैं कि अगर काम ही करना होता तो

निष्क्रिय वैराग्य

६३

कोई साधु क्यों बनता ? सांसारिक कार्यों की अपेक्षा साधु की आत्म-साधना बहुत कठिन है । मैं अनुभव नहीं हूँ, मान लेता हूँ कि वे ठीक कहते हैं । पर, कोल्हू के उस बैल को आप क्या कहेंगे जो दिनभर फिरकर वहीं रहता है । एक आदमी है, जो श्रम के लिए चक्की चलाता है, पर अनाज लेकर नहीं बैठता । स्पष्ट है कि जो उपयोगी नहीं है वह श्रम व्यर्थ ही है । आत्म-साधना में शरीर तपता भले ही हो, समाज और देश के जीवन को उस ताप से समाधान या शान्ति नहीं मिलती । साधना आत्मा की जाती है और पोषण शरीर का किया जाता है । यह उल्टी चक्की वैराग्य के नाम पर समाज में चलती रही है । और जब तक चलती रहेगी, समाज की काया-पलट नहीं होगी—उसकी विकृति दूर नहीं होगी ।

आप अकेला अवतरे

धर्माचार्यों ने कहा कि आदमी अकेला आता है और अकेला ही जाता है । उसका इस दुनिया में कोई संगी-साथी नहीं है । वे यहीं नहीं रुके, आगे बढ़े और कहा कि शरीर मल-मूत्र का घर है, परिजन स्वार्थ के सीरी हैं और उन्नति में बाधक हैं । किसी को वश में करने के दो तरीके बड़े आसान हैं । एक ज्योतिषी था । उसे आता-जाता क्या था यह तो मैं कह नहीं सकता, पर लोगों के हाथ देखते समय वह दो बातें विशेष रूपसे कहता था । एक तो तुम्हारा उपकार माननेवाला कोई नहीं है । तुम जिसका उपकार करते हो वह भी तुम्हारा साथ नहीं देगा । और दूसरी यह कि तुम्हें अमुक रास्ते से धन की प्राप्ति होने वाली है । मतलब यह कि आदमी को श्रेष्ठता प्रदान की जाय और प्रलोभन दिया जाय तो वह जल्दी वश में हो जाता है । धर्माचार्यों ने भी बात तो यही की, पर जरा ऊँचे स्तर से की । यह अचरज की बात है कि जहाँ 'सत्त्वेषु मैत्री' की शिक्षा मिलती है वहीं 'अपने अपने सुख को सेवै पिता, पुत्र, दारा' की भी वृत्ति को पुष्ट किया गया है । अगर हम किसी को अपना आत्मीय नहीं बना

सकते तो यह कहने में क्या अर्थ है कि दुनिया स्वार्थी है। अपनी अस-
र्थता को छिपाने के लिए धर्म के शब्द-तीरसे दूसरों की निंदा करना कहाँ तक
उचित है ?

वैराग्य के विद्यालय

अब तो वैराग्य के विद्यालय भी देखने में आते हैं। छोटे-छोटे
बालक-बालिकाओं को उन में प्रविष्ट किया जाता है। उन्हें विरागी बनने
की शिक्षा दी जाती है। विराग पैदा करने के लिए संगीत-शृंगार का भी
अवलम्बन लिया जाता है। स्वाद-जयी बनने के लिए मिठाइयाँ भी खिलाई
जाती हैं। इन विद्यालयों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वैराग्य जन्म-गत
नहीं होता। अगर ऐसा है तो यह हर्ष की बात है। पर शायद मेरा यह
समझना गलत हो। इस में शिष्यों की संख्या का मोह है या वैराग्य का
अनुराग, कौन जाने ? पर इतना निश्चित है कि ये विद्यालय शरीरधर्म
और समाजधर्म की अवहेलना या उपेक्षा कर जिस आत्मधर्म का प्रचार कर
रहे हैं वह इतना निष्क्रिय तथा पूंजीवादी कोटि का है कि उससे समाज को,
उनको और उनकी धर्म-शीलता को भारी क्षति पहुँच रही है।

नेताओं के दर्शन

कुछ साधु अपने नाम से पत्र-व्यवहार नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है
कि इससे पारस्परिक मोह उत्पन्न होता है। पर बात-चीत तो होती ही है।
कई बार तो प्रतिष्ठित और सरकार-मान्य नेताओं से मिलने भी मुनि पदार्पण
करते हैं। किसी का बच्चा मर जाय या घर लुट जाय तो उसे सांत्वना
देने जाने में मुनि शायद धार्मिक बाधा महसूस करेंगे, पर राज्याधिकारियों
से मिलने में उन्हें गौरव महसूस होता है। वैराग्य को टिकाए रखने के
लिए वे संसार के व्यवहार और शृंगार से इतना डरते हैं कि सामाजिक पत्र-
पत्रिकाओं को पढ़ने में भी उन्हें धार्मिक बाधा उत्पन्न होने की शंका होती
है। पर समय-बे समय चाहे जैसी चर्चा करने, गाना गाने, समाज की

निष्क्रिय वैराग्य

६५

भली-बुरी बातें छेड़ने में धर्म आड़े नहीं आता। किसी नेता से मिलने या चर्चा करने में आपत्ति किसे हो सकती है। लेकिन विचार तभी होता है जब विवेक को ताक में रखकर भावों की अपेक्षा नियमों की लीकों की रक्षा पर जोर दिया जाता है। उनका वैराग्य और कोई बाधा नहीं डालता, केवल ज्ञान-प्राप्ति और विचार-शक्ति पर ही प्रतिबन्ध लगाता है। सामायिक या ध्यान में बैठा-बैठा कोई मुनि या गृहस्थ अपनी चिंता छोड़ आए उपसर्ग को सहन कर जल-मर जाय तो किसी दृष्टि से उचित माना भी जा सकता है, पर क्या वह सामायिक इतनी भी निष्ठुर हो सकती है कि उस समय किसी को जलते-मरते या तकलीफ पाते देखकर भी उसे बचाने, सान्त्वना देने के लिए उठा नहीं जा सकता? अगर धर्म और वैराग्य ऐसा कर सकता है तो उस से तो सामान्य शिष्टाचार और नैतिकता भी अच्छी है।

कला और वैराग्य

कुछ साधुओं के पास मैंने हाथ के लिखे बड़िया ग्रंथ तथा लकड़ी के बने हुए सुन्दर और रंगीन पात्र देखे। पूछनेपर उन्होंने कहा : “इस में हमारा स्वावलम्बन है।” पर, वह रंगीनता और मनोहरता और लिपि की सुघरता और महीनता तो शायद कला-प्रियता की ही द्योतक थी। छपे ग्रन्थ और घातु के वर्तन परिग्रह में आते हैं। और परिग्रह वैराग्य का बाधक है। पर अपने स्वावलम्बन का अभिमान भी तो शायद अपरिग्रह नहीं है। और फिर जो सामग्री उनके पास रहती है उसको भी तो सुरक्षित रखना ही पड़ता है। अगर स्वावलम्बन ही है तो वह वर्तनों तक ही सीमित क्यों रह जाता है—उसे कृषि और चूल्हे तक भी बढ़ना चाहिए। और फिर अनासक्त उपयोग में कला का क्या महत्त्व? कला का चरम विकास समाज और जीवन के पतन का द्योतक है। इतिहास इसका साक्षी है। साहित्य में भी विकृति और अश्लीलता तभी आई जब ‘कला’ कला के लिए ही रह

गई। कहीं अपरिग्रह के प्रतिनिधियों की असंग्रहणीय सामग्री भी स्वावलम्बन के बहाने केवल कला की अभिव्यक्ति ही न रह जायें।

सच्चा वैराग्य

यों वैराग्य के कई भेद-प्रभेद हो सकते हैं। एक तो वह है जो अभावों में से निपजता है। दूसरा दुर्बलताओं और निराशा में से प्रकट होता है। पर एक वैराग्य वह भी है जो तृप्ति में से उदित होता है। मेरा खयाल है कि तृप्ति का या अनुभव का वैराग्य ही सच्चा और स्थायी होता है। न मिलने पर लोमड़ी के लिये अँगूर खट्टे हो सकते हैं, पर मिठास भी मिलने के पूर्व समाप्त नहीं होती। हम प्रायः देखते हैं कि बाजार की परिमित वस्तु खाने में सुखादु और रुचिकर लगती है, लेकिन उस से अधिक उत्तम और अपरिमित वस्तु यदि घर की बनी होती है तो उस के प्रति आकर्षण नहीं रह जाता। सद्भाव में अनासक्ति ही सच्ची विरक्ति है। अँगूर पास में हों और फिर लोमड़ी उन्हें खट्टा बताकर छोड़ दे तो ही बात सच्ची और साहसपूर्ण कही जायगी। हमारे अधिकांश साधु देखें कि वे किस कोटि में आते हैं।

आज यदि हमारे साधुओं में सहज-वैराग्य या समाज को सुख पहुँचाने की कर्म-शीलता नहीं दिखाई देती तो इसका कारण यही हो सकता है कि वे शास्त्रों के भावों और युग की स्थिति से दूर होकर शब्दों और रूढ़ियों से चिपक गए हैं। और सच तो यह है कि कर्त्तव्य पर रूढ़ि का अधिकार होते ही धर्म की मौत हो जाती है।

कर्म-शील वैराग्य

वैराग्य के विषय में ये कुछ पंक्तियाँ विचार के लिए मैंने लिखी हैं। किसी की श्रद्धा को डिगाने और वैराग्य को चिगाने का मेरा उद्देश्य कतई नहीं है। हाँ, यह कहने का अधिकार अवश्य चाहता हूँ कि अब कर्म-

निष्क्रिय वैराग्य

६७

शील वैराग्य ही पूजनीय हो सकेगा। और धार्मिक विधियों में से वे सब बातें हटा देनी होंगी जिनसे आदमी अकर्मण्य बनता है और परिवार, समाज और देश के प्रति अनुत्तरदायी। अन्यथा जिस प्रकार श्मशान-वैराग्य व्यंग और विनोद की वस्तु है, वही गति धार्मिक वैराग्य की भी होनेवाली है। सच्चे अर्थों में विरागी वह है जो सेवा देता है, लेनेवाला तो दम्भी और दीन ही हो सकता है।

: ८ :

यह असमता क्यों ?

महात्मा भगवानदीनजी

असमता का प्रश्न

डाकू से लेकर संत तक, रंक से लेकर राजा तक, मरियल से लेकर पहलवान तक, मूर्ख से लेकर महा-पंडित तक सब एक ही तरह से माँ के कोख में जगह पाते हैं, एक ही ढंग से जन्म लेते हैं, एक ही तरह रोते, हँसते और दूध पीते हैं, एक ही धरती माता के दिये टुकड़ों पर पलते-पुसते हैं, एक ही तरह की हवा और धूप लेकर फलते-फूलते हैं और एक तरह का पानी पीकर ताजगी हासिल करते हैं। फिर यह क्या बात है कि कोई डेढ़ हाथ का बौना रह जाता है और कोई पंखथा जवान बन जाता है। कोई गंगुआ तेली रह जाता है और कोई राजा भोज हो जाता है। कोई आये दिन दर दर की ठोकें खाता फिरता है और कोई अपने दरवाजेपर आये हुए सफेदपोशों को दर्शन देता और अपने पाँव पुजवाता है। ये ऐसी बातें हैं कि छोटे-बड़े सभी को खटकनी चाहिए। पर अचरज तो यह है कि सौ में से एक के मन में भी इस तरह की खटक नहीं पाई जाती। आज के समाजवादियों ने और साम्यवादियों ने सौ में से एक दो में ऐसी खटक पैदा की तो है पर उस खटक में बनावट बहुत है। और वह अपने ढंग की अलग होते हुए भी हमें बेदंगी और बेतुकी जँचती है। उस खटक में बाहरी कोंच बेहद और भीतरी कोंच नाम को भी नहीं। वे राजा को गद्दी से हटाकर उस की गद्दीपर जमकर रंकपने को मिटाना चाहते हैं। उनका यह कार्य उस बीमार जैसा है जो उठ-बैठ नहीं सकता और इस वजह से उसके हकीमने उसके खाने के लिए बिना चिकनाई की पतली खिचड़ी तज-

यह असमता क्यों ?

६९

चीज कर रखी है और वह अपनी खिचड़ी खाते खाते किसी पहलवान के हलवे के थाल पर जा लपके और ज्यादा खाने के बाद यह मानने लगे कि वह तन्दुरुस्त हो गया। जिस तरह वह मरीज बेहद टोटे में रहेगा उसी तरह से यह रंक भी राजा की गद्दी हथिया कर और ज्यादा रंक बन जायगा। ऊपर से पैदा हुई खटक जो रंग लाती है वह न एक के लिए अच्छा होता है और न समाज के लिए। ऊपर की खटक एक आदमी को यह सोचने समझने का अवसर ही नहीं देती कि वह क्यों रंक रह गया। वह रंकपने को ही किसी की देन समझता है। और यही समझता है कि जिस तरह यह राजा के हाथ में है कि वह जी चाहे जिस को सिपाही की वर्दी पहना दे और जी चाहे जिसको हवलदार की और जी चाहे जिसको सेनापति की। उसको यह पता ही नहीं कि सिपाही, हवलदार और सेनापति की वर्दियाँ यों ही नहीं बाँटी जाती हैं। सिपाही में सिपाहीपने की परख की जाती है। उसे तब वर्दी मिलती है। वैसे ही परख की कसौटी पर हवलदार और सेनापति भी कसे जाते हैं तब वे उस वर्दी के हकदार बनते हैं। पर जिस आदमी में बाहर से खटक पैदा की गई है उसे इतने गहरे पानी में जाने की जरूरत क्या? बाहरी खटक वाला तो बाहरी सीधा रास्ता ही अख्तियार करेगा और वह यही कि राजा को गद्दी से ढकेली तो एक छन में राजा बन जाओ। हो सकता है कि इस तरह के काम से किसी एक को थोड़ी देर के लिए छोटी-मोटी सफलता मिल जाय पर सारे समाज की भलाई चाहने वाले की नज़र इस ओछी बनावटी सफलता पर भूले-भटके पड़ भी गई तो टिक न पायेगी। वह ऐसी छोटी सफलता से न कोई सीख ले सकता है और न ऐसा कोई अटल सिद्धान्त बना सकता है जो समाज के सब आदमियों पर अलग-अलग काम में लाया जा सके। राजा तो गिनती का एक होता है, वह सब रंकों को राजा की गद्दी न दिला सकता है और न उसे ठीक समझता है। वह यह जरूर मानता है कि हर रंक में राजा होने की योग्यता है और एक ने ही उस योग्यता को बरसों धोया पोछा और

जॉचा माँजा है तभी किसीने राजा का मुकुट उस के सिर पर धर दिया है और उसने अपनी पहली तपस्या के बलपर स्वीकार कर लिया है और ठीक ढंग से संभाले हुए है। वह देखने के लिए राजा बनता या न बनता उस का रंकपना दूर हो चुका था और वह पहले ही से राजा था। सिर्फ लोगोंने उसे अब राजा कहा। यही सच्ची बात है। जो अन्दर से राजा नहीं हैं वे राजा की गद्दी पर ज्यादा देर नहीं टिक सकते और जो अन्दर से राजा है वह जहाँ है वहीं उसके लिए राजगद्दी मौजूद है। दुनिया मुर्गी को दाने और राजहंस को मोती चुगाती है। राजा और रंक समझदारों की नज़रों से छिप नहीं पाते। पर जिस तरह हंस नहीं चाहता कि उसे कोई हंस कहे उसी तरह से जो भीतर से राजा है उसे राजा कहलवाने की इच्छा नहीं होती। बालकपन और बूढ़ेपन की तरह से रंकपना और राजापना आदमी के मन की अवस्थाओं का नाम है। रंकपने को और कुछ अर्थ ही नहीं है सिर्फ यह समझना है कि मैं रंक हूँ। रंक को इस अनन्त सुख से भरी दुनिया में दुःख ही दुःख दिखाई देता है। बीमारी में जिस तरह हमारा सब देह टूटने लगता है और हम यह चाहने लगते हैं कि यह देह न होता तो हम बड़े सुखी होते, उस वक्त हम यह भूल ही जाते हैं कि दुनियादारी के सुख को हम इस देह के बिना अनुभव ही नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से रंक को दुनिया के सब सुख दुःख ही दिखाई देते हैं और वह चाहने लगता है कि ये सब न होते तो अच्छा था। उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि इन सब के बिना वह कितना दुःखी बन जायगा। जिस के मन में सारे समाज को सुखी देखने की इच्छा प्रबल होती है वह सुख के कारण को बाहरी चीज़ों में नहीं ढूँढ़ता। वह अन्दर नज़र डालता है और वहाँ उस को वे कारण मिल भी जाते हैं। वह रंक और राजा की बात सोच कर ही नहीं रह जाता। वह अपने मन में तरह-तरह के सवाल उठाता है। वह इस तरह सोचता है : एक रंक राजा की गद्दी तो ले सकता है पर राज-काज नहीं चला सकता। एक लटैत लठ के बलपर किसी सौदागर की दुकान का कब्जा तो ले सकता है, उस के धन

यह असमता क्यों ?

७१

पर कुछ दिनों रंगरेलियाँ उड़ा सकता है पर दूकान को ठीक ढंग से चला नहीं सकता । एक अपद किसी प्रोफेसर की कुर्सीपर जा डट सकता है पर सिवाय इस के कि वह विद्यार्थियों के खिलवाड़ की चीज़ बन जाय, उन्हें बता क्या सकता है ? इस तरह के विचार उसे ऐसी जगह पहुँचा देते हैं जहाँ पहुँचकर समाज में फैली हुई असमता का ठीक ठीक कारण वह समझ जाता है और अब उसको असमता में ही समता दिखाई देने लगती है । वह यह समझने लग जाता है कि चींटी और हाथी में एकसा आत्मा है । पर चींटी किसी तरह भी हाथी के देह को नहीं संभाल सकती और न हाथी के आत्मा में इस वक्त इतनी ताकत है कि वह चींटी के देह में समा जाय । इस तरह के विचार उसे इस तत्त्वपर ले आते हैं कि वह आदमी की यह जाँच करे कि आदमी कितने अंश में स्वाधीन और कितने अंशों में पराधीन है ।

देश-गत असमानता ?

इस में आदमी का क्या बश है कि वह हिन्दुस्तान में पैदा हो गया । हिन्दुस्तान में पैदा होने के नाते वह हिन्दुस्तानी कहलाने लगेगा और अब वह हिन्दुस्तानियों का अपना और चीनियों, जापानियों, रूसियों का पराया बन जायगा । अब वह कितना ही उन लोगों को प्यार करे, उनका अपना नहीं हो सकता । कुछ चीनी, जापानी, रूसी समझदार तरह तरह की आड़ी टेढ़ी परख के बाद उसे किसी तरह अपना मान भी लें तो सब जापानी तो नहीं मानेंगे और उन मुल्कों के हिन्दुतान के साथ लड़ाई छिड़ जाने के बाद तो वह समझदारों की नजर में भी उनके मुल्क का दुश्मन समझा जाने लगेगा और अगर वह इन मुल्कों में से कहीं हो तो जेल खाने के सिवाय उस के लिए कोई जगह नहीं रह जायगी । उस का हिन्दुतान में पैदा हो कर हिन्दुस्तानी होना भर काफी सबूत है कि वह चीनी, जापानी, रूसी नहीं । और अगर वह इनमें से कोई एक बनता

है तो वह धोखेबाज है, धोखा देना चाहता है और अगर सच्चा है तो देश-द्रोही है। अब बताइये वह हिन्दुस्तानियत जो उस के मर्जी के बिना उस पर थोप दी गई है उस का वह क्या करे ? वह उस के लिए बला बन गई है। और फिर तुरा तो यह कि इस जबरदस्ती थोपी हुई चीजपर आदमी अभिमान की बड़ी से बड़ी हवेली खड़ी कर लेता है। वस, यह जबरदस्ती की हिन्दुस्तानियत, जिस के गढ़ने में आदमीका जरासा भी हाथ नहीं है असमता की बीज बन बैठती है। इस बीज के बीजपन को जलाए बिना असमताकी बेल को उगाने से नहीं रोका जा सकता।

जाति-गत असमानता ?

आदमी का इस में क्या बश है कि वह एक हिन्दूघर में पैदा हो और अब उसे चाहे-अनचाहे अपने को हिन्दू कहना पड़ेगा और कुल के अनुसार चोटी रखानी होगी, जनेऊ पहनना पड़ेगा और पंथ के अनुसार तिलक छाप लगाना होगा और भी न जाने क्या क्या करना होगा। यह हिन्दूपन भी आदमी के सिर जबरदस्ती का थोपा हुआ नहीं तो और क्या है ? कोई बच्चा माँ के पेट से हिन्दू या मुसलमानी निशान लेकर पैदा नहीं होता। आज तक इन्सान न कोई ऐसी मशीन बना पाया है और न ऐसे साधन जुटा पाया है जिसपर कस कर या जिनकी मदद से वह किसी बच्चे के बारे में यह बता सके कि वह हिन्दू माँ के पेट से पैदा हुआ है या मुसलमान माँ के पेट से। वह हिन्दू बाप के वीर्य से है या मुसलमान बाप के नुत्के से। कुदरत ने ऐसा भेदभाव रक्खा ही नहीं और वह रखती भी क्यों ? उसे क्या पता था कि यह आदमी का बच्चा जिसको उसने इस सारे पृथ्वीग्रह का मालिक बनाया है वह इसको एशिया, यूरोप के टुकड़ों में काट डालेगा और फिर उस के हिन्दुस्तान और चीन जैसे और छोटे टुकड़े कर डालेगा और फिर फाड़कर पंजाब, बंगाल जैसी थैकलियाँ बना बैठेगा। और उस कुदरत को यह भी क्या पता था कि वह आदमी का बच्चा जिस

यह असमता क्यों ?

७३

को उसने सारे मानव समाज का सदस्य बनाकर पैदा किया था, एकदिन इस मानव समाज के पट को छोटी-छोटी धज्जियों में बांट देगा और उन को हिन्दू, मुसलमान, ईसाई नाम देकर इतनी असमता पैदा कर लेगा कि हर धर्मका अनुयायी अपने को भेड़िया और दूसरे धर्मवालों को निरी भेड़ समझने लगेगा और यों मानव समाज फाड़खाऊ दल और फाड़ खाये जाने वाले दलों में बँट जायगा ।

विचार और भाषा की असमानता ?

कुदरत को यह भी क्या पता था कि उसका विचार और भाषा के अनोखे जेवरों से लदा आदमी का बच्चा और भी ज्यादा प्रेम-बन्धन में बंधने की जगह द्वेष की आग से जलकर राख के कणों की तरह हवा की मदद से कण-कण में बिखर जायगा या जगह जगह कुछ कण-पुंजों का टीला बना कर जम जायगा । और फिर आये दिन एक टीले के कुछ कण दूसरे टीले में जा मिलेंगे और दूसरे के कुछ कण तीसरे में जा मिलेंगे या पहले में आ मिलेंगे । और फिर यह साधारण-सी बात भी द्वेष की भभक के कारण झगड़े की बात बन जाया करेगी । हिन्दू, मुसलमान, ईसाईपना न प्रकृति की देन है और न मानव की सृष्टि । यह तो आदमी के सिर थोपी हुई ब्लाएँ हैं । न मुहम्मद साहब ने कोई नई बात कही, न कहने का दावा किया और न हजरत ईसा ही कोई नई बात कह गये थे । रही हिन्दूधर्म की बात, उसे तो किसी एक के सिर मढ़ना आज असम्भव-सा हो रहा है । वह तरह तरह के विचारों की खान है । सब उस के लिए समान हैं और वह सब के लिए समान । जिस तरह किसी देश में जन्म लेना हमारे वश की बात नहीं, वैसे ही किसी धर्म में जन्म लेना भी हमारे वश के बाहर है । यह है, तो है पर मुश्किल तो यह है कि हम इस बेबसी की सिर पड़ी बपौती को ऐसे ही अपनाते हैं मानों हमारी यह निजकी कमाई हुई चीज है । तब उसे अपने मोल आँकने पर हंसी आती है और अपनी

बपौती से पाई चीज के साथ हम किसी तरह भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसा अपनी कमाई हुई चीज के साथ। अपनी कमाई हुई चीज की रग-रग से हमारी जानकारी होती है, उस के कमाने के हथकण्डों से हम वाकिफ होते हैं; उस के टूटने-फूटने पर उसे सुधार-संवार सकते हैं। इतना ही नहीं उस के कमाने के हथकण्डे हम किसी और को भी सिखा सकते हैं। उस के बारे में हमें यह भी विश्वास होता है कि हमारी तरह से कोई और भी उसे जल्दी ही आसानी से कमाना सीख सकता है और यह जानकारी हम में अपनी कमाई हुई चीज की वजह से घमण्ड को बहुत कम पास आने देती है या बिल्कुल पास नहीं आने देती। बपौती से पाई चीज के बारे में इस से एकदम उल्टा होता है। न उसे हम ठीक समझते हैं और न उसका ठीक ठीक मोल ही आंक सकते हैं और कभी आंकने ही लग जाय तो हजार में से नवसौ निबानवे आदमी उस के दाम इतने आँकेंगे जिसको दूसरे सुनकर दंग रह जायँ। यही वजह है कि आदमी जिस धर्म में पैदा होता है उसकी कुछ भी जानकारी न होने से या ठीक ठीक जानकारी न होने से उस का मोल बेहद ऊँचा आंक जाता है लेकिन अगर उसे अपनी जिन्दगी में कभी पूरी तरह से उस धर्म के जांचने का मौका मिल गया जिस में वह पैदा हुआ है, मूर्खता का पता लगता है। उसने भूल सिर्फ इतनी ही की होती है कि उसने अपने धर्म का मोल किसी दूसरे धर्म को सामने रख कर आँका होता है, जब कि उसकी जानकारी दोनों ही धर्मों के बारे में शून्य होती है। पर अब जब वह अपने धर्म की जांच करता है और सच्चे जी से जाँच करता है तो वह उसे चमकता हुआ तो मालूम होता है, पर साथ ही साथ उसे मालूम होता है कि दूसरा धर्म भी उतना ही चमकता हुआ है। और उसे यह भी मालूम होता है कि इस तरह की चमक उस के अन्दर भी मौके बेमौके पैदा होती रही है। पर इतनी दूर तक पहुँचने का अवसर किसी किसी को ही मिल पाता है। इसलिये उस

यह असमता क्यों ?

७५

धर्म का अभिमान जिस धर्म में एक आदमी पैदा हुआ है कर बैठना किसी समय भी खतरे से खाली नहीं होता। धर्म के ऐसे अन्ध-विश्वासी जो कारनामे कर गुजरते हैं उनकी कथाओं का समूह इतिहास नाम पाता है। और उस इतिहास पर हमारे जवानों की बुद्धि का पालन-पोषण होता है और उसी की वजह से समाज को वे दिन देखने पड़ते हैं जिसके बारे में वह तय ही नहीं कर पाता कि आज का दिन किस दिन की किस कार्रवाई का फल है। बस, सिर पर थुपे धर्म का अभिमान किसी तरह ठीक चीज नहीं और उस से बचे रहने में ही अपना और समाज का भला है।

अमीरी किसी पुण्य-कर्म का फल नहीं है

चाहने न चाहने से कोई आदमी किसी अमीर घराने में जन्म नहीं लेता। अमीर घराने में जन्म लेना पुण्य कर्मों का भी फल नहीं होता।

यह ठीक है कि बहुत से लोग उस को पुण्य-कर्मों का ही फल मानते हैं पर यह उनकी कोरी धींगा-धींगी है या बेमतलब की मनसमझौती है। अगर कुद-रतने, भान्य ने या ईश्वरने किसी बालक को उसके पुण्य-कर्मों के बदले में या किसी वजह से जानबूझकर और सोच-समझकर अमीर घराने में जन्म दिया होता तो अमीर घर में पैदा हुआ बालक कभी गली की धूल से खेलना पसन्द न करता और गन्दी नाली में हाथ डालना तो उसे जन्म के पहले दिन से ही न सुहाता। अमीर घर की दासदासियां ही नहीं, उस बालक की चाची, ताई, दादी, नानी, भाई-बहन यहाँ तक कि उसकी मां भी उसे टीन और चांदी के चम्मच में तमीज करना नहीं सिखा सकती। वह कभी भी चांदी के चम्मच को फेंककर टीन का चम्मच लेना पसन्द करेगा और उसके लिए रो-रो कर सारे घर को सर पर उठा लेगा। वह चांदी के चम्मच को गन्दी नाली में ऐसे ही फेंक देगा जैसे मिट्टी की डली को। दूसरी तरफ वह मिट्टी की डली को बड़ चाव से मुंह में देगा और देर तक मुंह में रखना पसन्द करेगा।

सोने की डली को भी वह मुंह में देगा पर शायद उतने चाव से और उतनी देर तक उसे मुंह में रखना पसन्द न करेगा, जितने चाव से और जितनी देर तक उसने मिट्टी की डली अपने मुंह में रखी थी। सारा घर बरसों उसे अमीरी सिखाने में लगा रहता है पर सफल नहीं हो पाता। बढ़िया से बढ़िया और साफ़ से साफ़ कपड़ों में धूल भरने में उसे कोई शिक्षक नहीं होती। वह किसी किसी काम के करने में शर्माता जरूर है पर वह शर्मा कर बताना यही चाहता है कि अमीरी बहुत खराब चीज़ है और यह अपना की चीज़ नहीं है। तुम लोग क्यों मुझे ऐसी खराब चीज़ अपनाने को जोर देते हो। वह साफ़ कहता मालूम होता है कि रेत से बढ़कर रूई के गंदे नहीं हो सकते और घास से बढ़कर मखमल का कपड़ा नहीं हो सकता और फूलों से बढ़कर सोने-चांदी के बनावटी फूल नहीं हो सकते। मतलब यह कि वह अपने हर काम से यही साबित करना चाहता है कि कुदरत ने सोच-समझ कर उसे अमीर के घर पैदा नहीं किया है और न वह खुद ही सोच समझ कर वहाँ पैदा हुआ है। इस पैदा होने में शायद कोई भेद की बात भी हो पर वह इतनी थोड़ी निकलेगी जिसके जान लेने से इस बात के साबित करने में कोई मदद न मिलेगी कि पुण्य-कर्म के फल से कोई बालक अमीर घराने में जन्म लेता है और जो ज्यादा बात मिलेगी वह सिर्फ़ यही साबित कर सकेगी कि यह निरी आकस्मिक घटना है और इतनी ही आकस्मिक है जितना एक ईंट का मकान की बुनियाद में लगाना या मुंडेर पर लगाना।

अमीरी से सुख भी नहीं मिलता :

सुख-दुख के लिहाज से भी घर में पैदा होकर ज्यादा सुख नहीं मिल पाता। बीमारियों पर अमीरी का कोई अधिकार नहीं है। अगर बीमारियों पर किसी को कुछ अख्तियार है तो वह है सफ़ाई को, खुली हवा को, चांदनी और धूप को, चश्मे के बहते हुए ताज़ा पानी को और हवा, धूप,

यह असमता क्यों ?

७७

खाई, धूल, मिट्टी को और फिर और कुछ है तो ताज़ा-ताज़ा फलों को, महकते फूलों को, मीठी मीठी जड़ों को, खटमिट्टी पत्तियों को, चटपटी जड़ी-बूटियों को और ये सब चीज़ें अमीरों को बहुत कम नसीब होती हैं। पैसे के बलपर वह इन चीज़ों को जुटा सकते हैं, पर जान-बूझकर नहीं जुटाते। धूल-मिट्टी की अमीर को क्या कमी। पर वह तो यह समझता है कि धूल-मिट्टी में खेलना गरीबों का काम है। इस से अमीरी को धक्का लगता है। चांदनी और धूप की अमीर को क्या कमी रह सकती है, पर वह तो यह समझता है कि बच्चे का नंगा रहना गरीबी की मार है। अमीर उस मार को क्यों सहे ? इसलिए अमीर का बच्चा तन्दुरुस्ती के सीधे-सादे साधनों से बहुत दूर पड़ जाता है और बीमारियों से लम्बी दोस्ती गांठ लेता है। इससे साफ ज़ाहिर है कि सुख का अमीरी से कोई सम्बन्ध नहीं। इसीलिए पुण्यकर्मों का अमीरी से कोई सम्बन्ध नहीं। क्योंकि पुण्यकर्म सुख के साधन जुटायेगा। और सुख के साधन जहाँ रहते हैं वहाँ जाने में अमीर अपनी हेटी समझता है। फिर पुण्यकर्म किसी को सुख के लिये तो अमीर घर में जन्म नहीं देगा। वस, तो यह पता चला कि अमीरी भी आदमी के सिरपर चाहे-अनचाहे थुप जाती है। अमीर बच्चों में से सौ में से निम्नानवे यह कहते मिलेंगे कि उनकी अमीरी उनके लिए कारागार बनी हुई है और वे उसमें कैदी हैं। जिस एक को ऐसी शिकायत नहीं होगी उसे यह न समझिये कि वह आज़ाद है। असल में वह इस योग्य ही नहीं है कि स्वाधीन-जीवन और बन्दी-जीवन में तमीज कर पाये। इसे कौन नहीं जानता कि शुद्धोदन को जब अपने बेटे सिद्धार्थ का जो आज बुद्ध नाम से जाने जाते हैं, यह पता चल गया कि वह अमीरी की धोखेबाजियों को समझ गया है और अमीरी का मामूली जेलखाना अब उसे किसी तरह नहीं रोक सकता, उसने उसको भागने से रोकने के लिए कितनी नई और कितनी ऊँची-ऊँची दीवारें खड़ी की थीं। कहीं नाच-गाने का सामान जुटाया था, कहीं बढिया से बढिया संगिनी उस के गांठ बांध दी थी। बढिया

से बढ़िया बाग-बगीचे उसके लिए तैयार किये गये थे और रथ-मंझोलियों की तो कोई गिनती ही न थी। क्या इसके बाद भी किसी को शक रह सकता है कि अमीर घर में पैदा होना जेलखाने में पैदा होना है और फिर क्या पुण्यकर्म ऐसे नीच काम करने की सोच सकता है ?

असमता की जड़-अमीरी का घमण्ड

हम यह तो नहीं कहना चाहते कि अमीर घराने में जन्म लेना पाप का फल है, क्योंकि यह कहकर तो हम वही भूल करेंगे जो इसको पुण्य-कर्म का फल बताकर कर रहे हैं। हम यहाँ पुण्य-पाप के पच्चे में नहीं पड़ना चाहते। हमें तो सिर्फ इतना ही कहना है कि अमीर घर में अगर कोई आदमी पैदा हुआ है तो इस में उसका कोई कसूर नहीं, क्योंकि यह बात उस के बूते के बाहर की थी। कसूर तो वह यह करता है कि इस जबरदस्ती सर पड़ी बला को ऐसे ही अपनाता है मानो उसने बड़ी मेहनत और तपस्या से अमीर घर में जन्म पाया हो। इस भूल का नतीजा यह होता है कि वह अमीर और गरीब में फ़रक करने लगता है। जिस फ़रक को न वह पैदाइश से साथ लाया था और न अपने बचपन में किसी तरह मानकर देता था। वह फ़रक उस में उसकी मरज़ी के बिना ठूँसा गया है और अब उसको वह इस तरह अपनाता है, मानो जानबूझकर उसने उसे शौक के साथ पिया हो। यही वजह है कि वह अपने आपको एक ऐसी जगह खड़ा कर लेता है जहाँ खड़े हो कर समाज की तराजू की डंडी किसी एक तरफ़ को झुक जाती है और समाज की समता बिगड़कर समाज में खलबली मच जाती है और वह तूफ़ान उठता है जो औरों को ही नुकसान नहीं पहुँचाता उसको भी आफ़त में डाल देता है। बस, ऐसी सिर पर थुपी अमीरी का घमण्ड करना भूल ही नहीं, मूर्खता भी है। इतने मूर्खपने के लबादे तन पर लाद कर हम समाज की सेवा के लिए निकल खड़े होते हैं और जब उस काम में सफल नहीं होते जिसे हम करना चाहते थे तब अपनी असफलता

यह असमता क्यों ?

७९

का भांडा किसी और के सिर फोड़ने लग जाते हैं। और यों एक और बड़ी मूर्खता कर बैठते हैं। असल में तो हमें इन चीजों का अभिमान मानना ही नहीं चाहिए जो हमें देश, धर्म, वंश, कुल की वजह से हाथ लग गई हों और जिन में हमारी अपनी कमाई का जरा-सा भी हिस्सा न हो या अगर हम किसी तरह से उन का अभिमान माने बिना रह ही नहीं सकते तो उन के जहर को यहाँ तक निकाल डालना चाहिए कि उनका अभिमान इतना ही रह जाय जितना एक नाम का। जिस तरह हमारा नाम राममोहन है और दूसरे का श्यामकुमार है और तीसरे का मुहम्मद अली है और चौथे का डेविड है पर जब हम गेंद का खेल-खेलते हैं तब डेविड का नाम 'डी' पर होने से पहला दाव उसे देते हैं और श्यामकुमार का नाम 'एस' से शुरू होने से सब से पीछे खेलते हैं। उस वक्त हमारी निगाह सिर्फ नाम के अक्षरों तक रहती है, उस से आगे नहीं जाती। अगर यही बात देश, धर्म, कुल, वंश के साथ हो जाय तो दुनिया का बहुत कुछ सुधार हो जायगा। पर हमें यह आसान बात ज्यादा मुश्किल और देर में सफल होने वाली मालूम होती है और यह मुश्किल बात कि सिर पर थुपी चीजों का अभिमान छोड़ दो, ज्यादा आसान मालूम होती है। इसी लिए हम इस बातपर जोर देते हैं।

असमता मिटाने का मार्ग

असमता के मिटाने के लिए ऊपर के तीन उदाहरणों में और भी जोड़े जा सकते हैं और यह काम हम पढ़ने वालों पर ही छोड़ते हैं। हम तो मोटे रूप से यही कह देना चाहते हैं कि देश, धर्म, कुल का खोटा अभिमान असमता को कभी नहीं मिटने देगा। मिटने देने की बात तो एक ओर उसे उल्टा पनपाता रहेगा। इस लिए इस बेमतलब की चीज को तो छोड़ने में ही अपना और समाज का गला है। यहाँ यह और समझ लेना चाहिए कि हम सिर से पैर तक इन्हीं जबरदस्ती थुपे गुणों के निरे

बंडल नहीं हैं, हम अपनी भी कोई चीज़ लेकर जन्मे हैं और वह है हमारा पुरुषार्थ, हमारा व्यक्तित्व, हमारी समझ, हमारा अन्तरात्मा । हम अपने अभिमान को सब ओर से हटा कर इसी एक अन्तरात्मा या जमीर पर पुंजी-भूत कर दें, पानीला इकट्ठा कर दें तो हम बहुत जल्दी समाज में अपनी ऐसी जगह बना लेंगे जो ऊंची तो होगी पर असमता को पैदा न करेगी, जो बड़ी तो होगी पर दूसरे उस देखकर अपने में छोटे पने का अनुभव न करेंगे, जो महान् तो होगी पर समाज में से किसी एक में भी तुच्छता के पांव न जमने देगी । हमारा अन्तरात्मा अपने आप हमें ऐसे रास्ते ले चलेगा जहाँ काँटे अपने आप फूल में बदलते चले जायेंगे और फिर अन्तरात्मा की आज़ादी की ऐसी बाढ़ आ जायगी जैसे खरबूजों के बेल में एक खरबूजा पकने से अनेकों खरबूजे पकने का तांता बंध जाता है । थोड़ी सी खलबली तो इस काम में भी होगी पर वह मीठी टीस की तरह खुशी खुशी बरदाश्त कर ली जायगी या बच्चा पैदा होने के वक्त की पीर की तरह रोते हुए भी सहन करने में दिल के अन्दर एक गुदगुदी बनाये रखेगी ।

अन्तरात्मा की समता से ही समता फैल सकती है

यह सवाल न उठाइये कि अन्तरात्मा आपको कुँ में जा गिराएगा । अन्तरात्मा परमात्मा का अंश है । उस से ऐसा काम कभी नहीं हो सकता । हाँ, झूठे अभिमान के साथ जो आत्मा कर बँठता है वह अन्तरात्मा नहीं होता । वह मन और मस्तक का षडयंत्र होता है । लोग नासमझी से उसे अन्तरात्मा की पुकार कह बैठते हैं । यहूदी ईसा का अन्तरात्मा जो कुछ बोला वह ईसाई धर्म नहीं है । ईसाई धर्म तो ईसा के स्वतंत्र अन्तरात्मा की पुकार है । मुसलमान या और किसी धर्म वाले मुहम्मद की अन्तरात्मा की पुकार इस्लामधर्म नहीं था और न है; वह तो मुहम्मद की स्वतंत्र आत्मा की पुकार है और वही तो ईश्वरीय इलहाम है । इसी तरह से बुद्ध और महावीर सभी देश, धर्म, और कुल के अभिमान से एक दम परे